27

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्ताईसवां प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में रक्षा विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधान अर्थात् नियमों/विनियमों आदि को तैयार किए जाने की स्थिति

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/ चैत्र,1945 (शक)

27

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्ताईसवां प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में रक्षा विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधान अर्थात् नियमों/विनियमों आदि को तैयार किए जाने की स्थिति

(24.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2023/चैत्र,1945 (शक)

सीओएसएल सं. 119 खंड-II

मूल्य: रु._____

(C) 2023 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (चौदहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

		पृष्ठ सं.
एक	समिति की संरचना.....	(ii)
दो	प्राक्कथन.....	(iii)

प्रतिवेदन

एक	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में रक्षा विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधान अर्थात् नियमों/विनियमों आदि को तैयार किए जाने की स्थिति	1-18

परिशिष्ट

एक	समिति द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियों/सिफारिशों का सार	19-25
दो	दिनांक 29.09.2022 को आयोजित समिति की दूसरी बैठक (2022-23) के कार्यवाही सारांश ।	26-28
तीन	दिनांक 23.03.2023 को आयोजित समिति की बारहवीं बैठक (2022-23) के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	29

अनुबंध

एक	विभिन्न कार्यालयों को भेजी गई रक्षा विभाग की प्रतिक्रियाओं की प्रतियां (अनुबंध ए से आई)	30-55
दो	छावनी अधिनियम, 2006 के तहत बनाए गए नियमों/विनियमों की स्थिति (अनुबंध जे)	56-59

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की संरचना

(2022-2023)

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी — सभापति

सदस्य

2. श्री बीमणिक्कम टैगोर .
3. श्री पिनाकी मिश्रा
4. डॉप्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे .
5. श्री चंदेश्वर प्रसाद
6. श्री एन.के. प्रेमचंद्रन
7. श्री सुरेश पुजारी
8. श्री ए. राजा
9. श्री नामा नागेश्वर राव
10. श्री संजय सेठ
11. डॉअमर सिंह .
12. श्री बृजेन्द्र सिंह
13. श्री सु. थिरुनवुक्करासर
14. श्री राम कृपाल यादव
15. श्री अरविन्द गणपत सावंत

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री मुरलीधरन पी. - निदेशक
3. श्रीमती जागृति तेवतिया - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मै, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर यह सत्ताईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. इस प्रतिवेदन में शामिल होने वाले मामलों पर अधीनस्थ विधान संबंधी समिति द्वारा दिनांक 29.11.2022 को हुई बैठक में विचार किया गया, जिसमें रक्षा मंत्रालय में रक्षा विभाग के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए गए।

3. समिति ने 23.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के मुख्य भाग में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है और प्रतिवेदन के परिशिष्ट-एक में भी पुनः उद्धृत किया गया है।

5. दिनांक 29.09.2022 को आयोजित समिति की दूसरी बैठक **(**2022-23) के कार्यवाही सारांश और इस प्रतिवेदन से संबद्ध समिति दिनांक 23.03.2023 को आयोजित बारहवीं बैठक **(**2022-23) के कार्यवाही सारांश प्रतिवेदन के परिशिष्ट-दो और तीन में शामिल किए गए हैं।

नई दिल्ली;
23 मार्च, 2023
02 चैत्र, 1945 (शक)

बालाशौरी वल्लभनेनी
सभापति,
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में रक्षा विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधान अर्थात् नियमों/विनियमों आदि को तैयार किए जाने की स्थिति

क. प्राक्कथन

एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य में, सरकारी गतिविधि मानव प्रयास के लगभग हर क्षेत्र में व्याप्त है, इस प्रकार, इस निरंतर बढ़ते जा रहे कार्यकलाप को विनियमित करने के लिए विविध कानूनों के अधिनियमन की आवश्यकता है। हालांकि, विधानमंडल के पास कानून के हर विवरण पर विचार-विमर्श, चर्चा और अनुमोदन के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। इसके अलावा, विधायिका के लिए भविष्य की सभी आकस्मिकताओं की भविष्यवाणी करना मुश्किल है और कार्यकारी अधिकारियों को परिस्थितियों से निपटने के लिए लचीलेपन की आवश्यकता हो सकती है। इस स्थिति में, विधायिका यही कर सकती है कि किसी कानून की नीति और उद्देश्य को विहित करे और, उन सिद्धांतों के अनुरूप, आदेशों/नियमों के रूप में विधिक उपाय के औपचारिक और प्रक्रियात्मक विवरणों को निरूपित करने का कार्य कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए जिसे अधीनस्थ विधान के रूप में जाना जाता है और विधायिका ऐसा ही करती है।

"अधीनस्थ विधान" शब्द का अर्थ

2. "अधीनस्थ विधान" शब्द सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 20 और 21 में संदर्भित अधिसूचनाओं, आदेशों, योजनाओं, नियमों और उप-नियमों को संदर्भित करता है। भारतीय संदर्भ में, अधीनस्थ विधान शब्द का तात्पर्य संसद अथवा संविधान के अधिनियम के अंतर्गत निरूपित किए गए किसी भी नियमों, विनियमों, आदेशों, योजनाओं, उप-नियमों, विधियों, अध्यादेशों, अधिसूचनाओं या लिखितों से है। ऐसे अधीनस्थ विधानों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना चाहिए, जिससे संसद सदस्यों को यह अवसर मिलता है कि यदि वे चाहें तो ऐसे "आदेश" में संशोधन या सुधार प्रस्तुत कर सकते हैं।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और इसकी भूमिका

3. चूंकि अधीनस्थ विधान, संविधि का एक महत्वपूर्ण घटक तत्व बन गया है, अतः विधायिका की भूमिका इस निगरानी और जांच करने के लिए महत्वपूर्ण है कि अधीनस्थ विधान, अधिनियम अथवा संविधान की भावना के अनुरूप है और साथ ही संसद या संविधान के अधिनियमों के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के अनुरूप कार्यपालिका पर उचित नियंत्रण रखने के लिए भी यह समान रूप से महत्वपूर्ण है। विधान, संसद का एक अंतर्निहित और अविभाज्य अधिकार है और यह सुनिश्चित करना होता है कि अधीनस्थ विधान की आड़ में इस शक्ति को हडप न लिया जाए और न ही इसका अतिक्रमण किया जाए। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, लोक सभा एक ऐसा ही साधन है और इसका गठन इस बात की संवीक्षा करने और सदन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित नियमों, विनियमों, उप-नियमों, योजनाओं या अन्य सांविधिक लिखतों को तैयार करने वाली शक्तियों को, इस प्रकार प्रदान किए जाने या प्रत्यायोजन, जैसा भी मामला हो, के भीतर ठीक से प्रयोग किया गया है।

4. यह महत्वपूर्ण है कि विधायिका को आवश्यक विधायी कार्यों को अपने पास निहित रखना चाहिए जिसमें विधायी नीति की घोषणा करना और विधि में रूपांतरित किए जाने के लिए मानक निर्धारित करना शामिल है। ऐसा कार्य जिन्हें प्रत्यायोजित किया जा सकता है, के अधीनस्थ विधान संबंधी कार्य हैं जिनकी स्वयं की प्रकृति संविधि का सहायक के रूप में है जो इसे तैयार करने की शक्ति प्रदान करती है।

<u>अधीनस्थ विधान तैयार करने के संबंध में समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें</u>

5. संविधि को पूरी तरह से केवल तभी लागू किया जा सकता है जब अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सभी अधीनस्थ विधान समय पर तैयार किए गए हों। समिति ने अपनी कार्यवाही के दौरान यह पाया है कि मंत्रालयों ने नियमों/विनियमों को तैयार करने में पर्याप्त समय लिया है और इसलिए अधिनियम आंशिक रूप से कार्यान्वित किए गए है या कार्यान्वित नहीं किए गए हैं। अतः, समिति ने मंत्रालयों द्वारा नियमों/विनियमों को तैयार करने में विलंब के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिशें/टिप्पणियां की हैं। समिति ने 5 मई, 1959 को प्रस्तुत अपने पाँचवे प्रतिवेदन में निम्नवत् सिफारिश की है;

> *"34. समिति का विचार है कि सामान्यतया अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद यथाशीघ्र अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाए जाने चाहिए और किसी भी स्थिति में यह अवधि छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि अधिनियम के लागू होने के बाद उचित अवधि के भीतर कोई नियम नहीं बनाया जाता है तो समिति मामले को संबंधित मंत्रालय के साथ उठाएगी और सदन को उन मामलों की रिपोर्ट देगी जहां यह महसूस किया गया है कि नियम बनाने में अनुचित देरी हुई है।"*

6. समिति ने अपने 18वें प्रतिवेदन (पांचवी लोक सभा) के पैरा 108 में आगे सिफारिश की है कि यदि कोई मंत्रालय इस समय सीमा अर्थात् 6 महीने का अनुपालन करने में समर्थ नहीं है तो उसे नियम निरूपण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय का विस्तार मांगना चाहिए। समिति की सिफारिश इस प्रकार है:

> "समिति अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश पर पुनः बल देती है कि सामान्यत: अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद यथाशीघ्र अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाए जाने चाहिए और किसी भी स्थिति में यह अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, यदि कोई मंत्रालय/विभाग यह पाता है कि किसी अपरिहार्य कारण से उनके लिए एक अपवादात्मक मामले में निर्धारित समय-सीमा का पालन करना संभव नहीं है, तो उन्हें संबंधित अधिनियमों के प्रारंभ होने से 6 महीने की समाप्ति पर, समिति को कारणों की व्याख्या करनी चाहिए और समिति से विशिष्ट समय विस्तार माँगना चाहिए।"

7. तथापि समिति ने पाया कि अधिकाँश मंत्रालय नियम/विनियम निरूपित करने के लिए समिति द्वारा विहित 6 महीने की समयसीमा का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। समिति ने नोट किया कि नियम बनाने में देरी एक बार-बार होने वाली घटना बन गई है और जिन मामलों को वैधानिक नियमों द्वारा नियंत्रित करने की मांग की जाती है, वे अक्सर सही तरीके से तैयार किए गए वैधानिक नियमों के अभाव में दिशानिर्देशों आदि के कार्यकारी निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। इस प्रकार

संसद द्वारा पारित अधिनियमों के अंतर्गत नियमों का समय पर निरूपण सुनिश्चित करने के लिए, समिति ने 6 मार्च, 1996 को प्रस्तुत अपने 24वें प्रतिवेदन (10वीं लोकसभा) में निम्नानुसार सिफारिश की: -

.1" प्रारूप नियमों का निर्माण प्रस्तावित विधेयक के प्रारूपण के साथ-साथ शुरू किया जाना चाहिए ताकि विधेयक को सदन में पेश किए जाने तक प्रारूप नियम तैयार हो जाएं।

.2 जब भी कोई विधेयक संसद में पेश किया जाता है और विशेष रूप से वे विधेयक जो एक आयोग या न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव करते हैं, तो विधेयक के साथ प्रत्यायोजित विधान के ज्ञापन में इस आशय का एक 'नोट' होना चाहिए कि मसौदा नियम भी इस विधेयक के अंतर्गत तैयार किए गए हैं।

.3 लंबे अंतर-मंत्रालयी पत्राचार या जहां कानून मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श शामिल है, वहां इसके कारण अनुचित देरी को दूर करने के लिए, संबंधित मंत्रालय को सभी संबंधित एजेंसियों की बैठकें बुलानी चाहिए ताकि मामलों को लंबे पत्राचार में उलझे बिना जल्द से जल्द सुलझाया जा सके।

.4 इस संदर्भ में समिति ने नियम बनाने/निरीक्षण करने के लिए सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में विशेष रूप से स्वयं के एक विधि अधिकारी की सेवाओं पर भी विचार किया।

विधि अधिकारी विधि मंत्रालय से हो सकता है जिसे संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है। समिति पहले ही कुछ मंत्रालयों से परामर्श कर चुकी है जिन्होंने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। समिति महसूस करती है कि इस तरह की व्यवस्था निश्चित रूप से प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए विधि मंत्रालय से संपर्क करने की आवश्यकता को समाप्त कर देगी, जब नियम बनाने/निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है, और परिणामी देरी से बचा जा सकता है।

अतः समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को संसद द्वारा पारित अधिनियमों के अंतर्गत नियमों का समय पर निर्धारण सुनिश्चित करने की दृष्टि से समिति की पूर्वोक्त सिफारिशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।"

8. समिति ने अपने 18वें प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा), 8वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा), चौथे और तेरहवें प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा), पहले और तेरहवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा), 27वें और 31वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने के लिए बार-बार अपनी सिफारिशों को दोहराया है। समिति ने 8वीं लोक सभा के अपने चौथे प्रतिवेदन के पैरा 21 (18-12-1985 को सभा पटल पर रखा गया) में मंत्रालयों हेतु अधीनस्थ विधान के संबंध में अपनी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार करने की भी सिफारिश की थी। इस सिफारिश के अनुसरण में, संसदीय कार्य मंत्रालय ने इस विषय पर विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए थे जिन्हें 18-09-1986 को सभी मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित कर दिया गया था। इन दिशानिर्देशों को भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियमावली के अधीनस्थ विधान से संबंधित अध्याय 11 में भी दिया गया है।

9. इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा नियम बनाने के लिए समय विस्तार के संबंध में, संसदीय कार्य मंत्रालय ने भारत सरकार में संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली के पैरा 11.3.2 में विशेषरूप से निम्नानुसार उल्लेख किया है-

> "यदि विभाग छह माह की निर्धारित अवधि के भीतर नियम बनाने में सक्षम नहीं होता है, तो उन्हें इस तरह के समय विस्तार के कारणों का उल्लेख करते हुए अधीनस्थ विधि संबंधी समिति से समय विस्तार की मांग करनी चाहिए; इस तरह का समय विस्तार एक बार में तीन माह की अवधि से अधिक नहीं दिया जाएगा। मंत्री महोदय से अनुरोध प्राप्त करने के बाद अनुमोदन किया जाना चाहिए।"

10. तथापि, ऐसे विस्तृत दिशा-निर्देशों के रहने के बावजूद, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा समिति की सिफारिशों का निष्ठापूर्वक पालन नहीं किया जा रहा है। कई मामलों में मंत्रालय अपने विलंब के लिए क्षमा मांगते हैं और समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया जाता है और समिति द्वारा इंगित किए जा रहे नियमों में कमियों को भी दूर किया जाता है।

11. तदनुसार इस सचिवालय के दिनांक 25.06.2021, 17.08.2021, 25.10.2021, 10.11.2021, 09.12.2021, 30.05.2022 और 12.07.2022 के कार्यालय ज्ञापनों के द्वारा रक्षा मंत्रालय में रक्षा विभाग को उनके द्वारा तैयार किए गए नियमों/विनियमों की स्थिति के बारे में बताने के लिए कहा गया। विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधानों को तैयार करने की स्थिति से संबंधित विभाग द्वारा दिनांक 17.12.2021, 3.3.2022 और 18.7.2022 के पत्रों द्वारा प्रस्तुत विवरण के अवलोकन पर, यह पाया गया कि समिति की बारंबार की गई सिफारिशों का उल्लंघन किया गया है। विभाग ने उपर्युक्त पत्र के बाद ही छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत तैयार किए गए अधीनस्थ विधानों की स्थिति प्रदान करते हुए एक विवरण प्रस्तुत किया। अतः, यह देखा गया है कि बारंबार पत्र भेजे जाने के बावजूद, विभाग ने उनके द्वारा प्रशासित किए जा रहे अन्य सभी अधिनियमों के अंतर्गत तैयार किए गए नियमों/विनियमों की स्थिति के बारे में नहीं बताया है। इस प्रकार, समिति ने इस तथ्य का संज्ञान लिया और दिनांक 29 नवंबर, 2022 को रक्षा मंत्रालय में रक्षा विभाग के प्रतिनिधियों के साथ अधीनस्थ विधान अर्थात् विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत तैयार किए गए नियमों/ विनियमों आदि की स्थिति पर संक्षिप्त जानकारी देने के लिए एक बैठक आयोजित की।

ख. <u>रक्षा मंत्रालय में रक्षा विभाग की पृष्ठभूमि, लक्ष्य और उद्देश्य</u>

12. विभाग की पृष्ठभूमि, लक्ष्य और उद्देश्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए, विभाग ने दिनांक 26.11.2021 के अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में निम्नवत् बताया है**:-**

(i) पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता के बाद, एक कैबिनेट मंत्री के प्रभार में रक्षा मंत्रालय की स्थापना की गई थी और प्रत्येक सेना को अपने स्वयं के कमांडर-इन-चीफ के अधीन रखा गया था। वर्ष 1955 में कमांडर-इन-चीफ का नाम बदलकर थल सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष कर दिया गया। नवंबर 1962 में, रक्षा उपकरणों के अनुसंधान, विकास और उत्पादन से संबंधित कार्यों के लिए रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना की गई थी। नवंबर, 1965 में, रक्षा आवश्यकताओं के आयात प्रतिस्थापन के लिए योजनाओं के नियोजन और निष्पादन के लिए रक्षा आपूर्ति विभाग बनाया गया था। इन दोनों विभागों को बाद में रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग बनाने के लिए विलय कर दिया

गया था। वर्ष 2004 में, रक्षा उत्पादान और आपूर्ति विभाग का नाम बदलकर रक्षा उत्पादान विभाग कर दिया गया। वर्ष 1980 में, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग की स्थापना की गई थी। वर्ष 2004 में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की स्थापना की गई। वर्ष 2019 में, संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुविधाजनक बनाने और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के उद्देश्यों से सैन्य कार्य विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया गया था।

मंत्रालय के प्रमुख कार्य, रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नीति निर्देश तैयार करना और सेना मुख्यालयों, अंतर-सेना संगठनों, उत्पादन प्रतिष्ठानों और अनुसंधान एवं विकास संगठनों को कार्यान्वयन के लिए सूचित करना है। सरकार के नीति निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन और आवंटित संसाधनों के भीतर अनुमोदित कार्यक्रमों के निष्पादन को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

(ii) रक्षा विभाग के लक्ष्य और उद्देश्य

13. रक्षा मंत्रालय के तहत डीओडी के लक्ष्य और उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

रक्षा विभाग भारत की रक्षा और रक्षा नीति सहित उसके प्रत्येक भाग के लिए अनिवार्य है। यह अंतर-सेना संगठनों, रक्षा लेखा विभाग, रक्षा संपदा विभाग, कैंटीन भंडार विभाग (सीएसडी), भारतीय तट रक्षक बलों, राष्ट्रीय कैडेट कोर, सीमा सड़क संगठन, सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज आदि से संबंधित है। यह रक्षा बजट, रक्षा भूमि और छावनियों, संसद से संबंधित मामलों और विदेशों के साथ रक्षा सहयोग के लिए जिम्मेदार है। रक्षा सचिव इसके प्रमुख होते हैं जिनकी सहायता के लिए महानिदेशक (अधिग्रहण), अपर सचिव और संयुक्त सचिव होते हैं। रक्षा सचिव रक्षा मंत्रालय में अन्य विभागों अर्थात डीएमए, डीडीपी, डीईएसडब्ल्यू और डीडीआरएंडडी के कार्यकलापों के समन्वय के लिय भी जिम्मेदार है।

(iii) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम

14. दिनांक 29.11.2022 को आयोजित समिति के समक्ष रक्षा मंत्रालय में रक्षा विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा संक्षिप्त जानकारी दिए जाने के दौरान, समिति ने मुख्य रूप से निम्नवत् बिंदुओं पर बल दिया:

i. विभाग द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियम/संशोधन अधिनियम;

ii. विभाग द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों/संशोधन अधिनियमों के अंतर्गत केंद्र सरकार के विधायन को प्रत्यायोजित शक्ति का विवरण;

iii. विभाग द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों (समय-समय पर संशोधित) या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत नियमों/विनियमों को तैयार करने की स्थिति;

iv. उन लंबित नियमों/विनियमों की स्थिति, जिन्हें तैयार किया जाना अपेक्षित है और इन्हें तैयार करने में विलंब के कारण;

v. विभिन्न अधिनियमों/संशोधन अधिनियमों के अंतर्गत नियम/विनियम तैयार करने के लिए लोक सभा के अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों से विभाग द्वारा समय को बढ़ाने से संबंधित मांग का ब्योरा;

vi. विभिन्न अधिनियमों/संशोधन अधिनियमों के अंतर्गत तैयार किए गए सभी नियमों/विनियमों को सभा पटल पर रखने की स्थिति;

vii. विभाग द्वारा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों को लोक सभा के पटल पर रखने में विलंब के उदाहरण**,** यदि कोई हों।

15. विभाग के प्रतिनिधियों ने 29.11.2022 को आयोजित संक्षिप्त जानकारी दिए जाने हेतु आयोजित बैठक के दौरान, समिति को बताया कि विभाग द्वारा निम्नवत् अधिनियम प्रशासित किए जाते हैं:-

(क) छावनी अधिनियम, 2006;
(ख) सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007;
(ग) तटरक्षक अधिनियम, 1978;
(घ) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948;
(ङ) रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903; और
(च) छावनी (गृह- आवास) अधिनियम, 1923.

ग. <u>विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत नियमों/विनियमों/संविधियों आदि को तैयार करने की स्थिति प्रस्तुत करना।</u>

16. लोकसभा सचिवालय की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने दिनांक 25 जून, 2021 के अपने कार्यालय ज्ञापन और उसके पश्चात् दिनांक क्रमशः दिनांक 17 अगस्त, 2021, 25 अक्टूबर, 2021, 10 नवंबर, 2021, 9 दिसंबर, 2021, 30 मई, 2022 और 12 जुलाई, 2022 को भेजे गए स्मरण पत्रों द्वारा तैयार किए गए नियमों/विनियमों की स्थिति, तैयार नहीं किए गए नियमों/विनियमों के बारे में, समिति से समय बढ़ाने के लिए की गई मांग का विवरण, विभाग द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत तैयार किए गए नियमों/विनियमों को सभा पटल पर रखे जाने का विवरण और रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करने वाले अन्य संगठनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 29 नवंबर, 2022 को आयोजित संक्षिप्त जानकारी देने हेतु आयोजित बैठक के दौरान मंत्रालय से तैयार किए गए नियमों/विनियमों को दोनों सभाओं के पटल पर रखे जाने की तिथियां प्रदान करने के लिए कहा गया।

17. उत्तर में, रक्षा विभाग ने दिनांक 26.11.2022 को प्रस्तुत किए गए अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में विभाग द्वारा प्रशासित निम्नवत् पांच अधिनियमों का विवरण प्रस्तुत किया:-

(1) छावनी अधिनियम, 2006

यह अधिक से अधिक लोकतंत्रीकरण प्रदान करने, विकासात्मक गतिविधियों हेतु प्रावधान बनाने के लिए उनके वित्तीय आधार में सुधार और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए छावनियों के प्रशासन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है।

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) अधिनियम 1948

यह राष्ट्रीय कैडेट कोर के गठन के लिए प्रावधान संबंधी अधिनियम है।

(3) सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007

यह सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 अधीन व्यक्तियों के संबंध में कमीशन, नियुक्तियों, नामांकन और सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों का सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन या परीक्षण प्रदान करने के लिए एक अधिनियम है और उक्त अधिनियमों के तहत कोर्ट मार्शल के आदेशों, निष्कर्षों या निर्णयों से उत्पन्न होने वाली याचिकाओं और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए भी प्रदान प्रावधान करने के लिए भी यह अधिनियम है।

(4) तट रक्षक अधिनियम 1978

समुद्री क्षेत्रों में समुद्री और अन्य राष्ट्रीय हितों के संरक्षण की दृष्टि से भारत के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघ के एक सशस्त्र बल के गठन और विनियमन के लिए और उससे जुड़े मामलों के लिए एक अधिनियम।

(5) रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903

इस अधिनियम का उद्देश्य रक्षा कार्यों के आसपास के क्षेत्र में भूमि के उपयोग और लाभ पर प्रतिबंध लगाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यों/ रक्षा के कार्यों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवास, निर्माण और अन्य गतिविधियों को एक तरह से सुगम बनाया जा सके। और साथ ही साथ रक्षा के कार्यों के आसपास बसने वाली आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दूसरी ओर संभावित प्रतिबंधों वाली ऐसी भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को उचित मुआवजे का भुगतान करना।

18. दिनांक 29.11.2022 को आयोजित संक्षिप्त जानकारी दिए जाने हेतु आयोजित बैठक के दौरान, रक्षा विभाग ने समिति को अवगत कराया कि विभाग निम्नलिखित छह अधिनियमों को प्रशासित करता है:

(i) छावनी अधिनियम, 2006
(ii) सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007
(iii) तट रक्षक अधिनियम 1978
(iv) राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) अधिनियम 1948
(v) छावनी (गृह- आवास) अधिनियम, 1923
(vi) रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903

19. विभाग और अन्य संगठनों द्वारा प्रशासित किए जा रहे सभी अधिनियमों के अंतर्गत नियम/विनियम आदि तैयार करने की अद्यतन स्थिति और उन्हें प्रस्तुत करने के संबंध में, विभाग ने दिनांक 26.11.2022 के अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में निम्नवत् बताया:-

"यह उल्लेख किया जाता है कि वर्तमान में रक्षा विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के तहत बनाए जाने वाले सभी नियम/विनियमों को तैयार किया गया है और इसे संसद के दोनों सदनों में रख दिया गया है । अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति लोक सभा और राज्य सभा, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय को विभिन्न अवसरों पर छावनी अधिनियम, 2006 के तहत बनाए गए नियमों/ विनियमों के बारे में स्थिति से अवगत कराया गया है। सीओएसएल, लोक सभा, राज्य सभा और मंत्रिमंडल सचिवालय को यह भी सूचित कर दिया गया है कि छावनी अधिनियम, 2006 के तहत तैयार किए गए सभी नियम/विनियम के संबंध में की गई सभी कार्रवाईयां पूर्ण हैं । सीओएसएल, लोक सभा सचिवालय के दिनांक 12.07.2022 के पिछले कार्यालय ज्ञापन जिसमें यह उल्लिखित है कि इस मामले को पूरा माना जाए और यह आपके अवलोकनार्थ अनुबंध-क से झ के रूप में संलग्न है।"

सिफारिशें/ टिप्पणियां

20. समिति नोट करती है कि रक्षा विभाग द्वारा प्रशासित किए जा रहे अधिनियमों का विवरण प्रस्तुत करते समय, विभाग ने अपने पृष्ठभूमि नोट दिनांक 26.11.2022 में केवल 5 अधिनियमों की सूची प्रस्तुत की थी और छावनी (गृह आवास) अधिनियम, 1923 के बारे में उल्लेख नहीं किया था जो कि बाद में विभाग द्वारा जोड़ा गया। विभाग की वेबसाइट के होमपेज पर भी इस तरह की असंगति पाई गई है, जहां उपरोक्त 6 अधिनियमों के अलावा 'अधिनियमों और नियमों' के आइकन के तहत, ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021, भारतीय रिजर्व बल अधिनियम, 1888, वायु सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957, सेना अधिनियम, 1950, सेना और वायु सेना (निजी संपत्ति का निपटान) अधिनियम, 1950 जैसे अन्य अधिनियम और कुछ और अधिनियम दिखाए गए हैं। मंत्रालय ने विभाग से बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद विभाग द्वारा वास्तव में प्रशासित किए जा रहे अधिनियमों की स्पष्ट सूची नहीं दी।

21. समिति चिंता के साथ आगे नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा प्रशासित किए जा रहे सभी अधिनियमों के संबंध में, अभी तक तैयार नहीं किए अथवा तैयार किए गए नियमों/विनियमों की स्थिति को दिए गए प्रारूप में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद, विभाग ने केवल छावनी अधिनियम, 2006 के संबंध में स्थिति उपलब्ध कराई और अन्य अधिनियमों के संबंध में, विवरण प्रस्तुत करने की बजाय, विभाग ने केवल यह उल्लेख किया कि, रक्षा विभाग द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के तहत बनाए जाने वाले सभी नियम/विनियम तैयार कर संसद के दोनों सदनों में रखे गए हैं।

22. समिति विभाग द्वारा संसदीय समिति को ऐसी असंगत और अधूरी जानकारी प्रस्तुत किए जाने को गंभीरता से लेती है। इस प्रकार, समिति का मत है कि जब किसी संसदीय समिति द्वारा कोई जानकारी मांगी जाती है, तो विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपेक्षित प्रारूप में पूरी जानकारी समिति को समय से प्रस्तुत की जाए। गलत और अधूरी सूचना प्रस्तुत करना मंत्रालय/विभाग में गंभीरता की कमी को दर्शाता है।

23. इस प्रकार, समिति अधीनस्थ विधान तैयार करने के प्रति मंत्रालय के इस लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है और समिति का यह भी दृढ़ मत है कि जब मंत्रालय को एक संसदीय समिति द्वारा उनके द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के तहत बनाए गए और दोनों सदनों के सभा पटल पर रखे गए नियमों की स्थिति उपलब्ध कराने को कहा गया तो मंत्रालय का ईमानदार प्रयास समिति को निर्धारित प्रारूप में सही अद्यतन जानकारी संकलित करके प्रस्तुत कराने का होना चाहिए था। इसलिए, समिति मंत्रालय को इसके लिए एक त्रुटिरहित प्रणाली विकसित करने और यदि आवश्यक हो तो अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का निदेश देती है ताकि अधीनस्थ विधान तैयार करने से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया, जैसा कि संसदीय प्रक्रिया की

नियमावली में विस्तार से उल्लेख किया गया है, का अक्षरश: पालन किया जा सके। मंत्रालय को उसके द्वारा प्रशासित अथवा कार्यान्वित किए जा रहे अधिनियमों तथा नियमों/विनियमों/अध्यादेशों/संविधियों आदि की स्थिति का ब्यौरा मंत्रालय के वेबपेज पर अद्यतन करने के लिए एक प्रणाली भी विकसित करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे नियमित रूप से अद्यतन भी किया जाए। समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

घ. <u>तैयार किए गए नियमों/विनियमों को सभा पटल पर रखने की स्थिति</u>

<u>सभा पटल पर रखने की सांविधिक आवश्यकता –</u>

24. कार्यपालिका द्वारा स्वेच्छ शक्तियों के अभिग्रहण करने के विरूद्ध महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों में से एक यह है कि कार्यपालिका द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए नियमों को न केवल विधायिका के समक्ष रखा जाना चाहिए, बल्कि विधायिका के पास इन्हें रद्द करने या संशोधित करने का वैधानिक अधिकार भी होना चाहिए। समिति ने, नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयकों में समाविष्ट करने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों को स्वीकृति दी है: -

> *"इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन या उसे निष्प्रभावी करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी होगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्त्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"*

<u>नियमों/विनियमों को सभा पटल पर रखने की समय सीमा</u>

25. समिति ने छठे प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) के पैरा 38 में की गई अपनी सिफारिशों में से एक निम्नवत् सिफारिश की है:-

> *"समिति यह दोहराना चाहेगी कि सभी मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सदन के समक्ष रखे जाने वाले सभी 'आदेश' को यदि सदन सत्र में हो तो राजपत्र में प्रकाशन के 15 दिनों की अवधि के अंदर सदन के समक्ष रखे जाएं, और यदि सदन सत्र में नहीं हो, तो 'आदेश' अनुगामी सत्र के प्रारंभ होने पर यथाशीघ्र (किंतु 15 दिनों के अंदर) सदन के पटल पर रखे जाएं।*
> *समिति चाहती है कि संबंधित मंत्रालय सदन के पटल पर ऐसे प्रत्येक 'आदेश' को रखने में हुए विलंब के कारणों को स्पष्ट करते हुए उन्हें प्रस्तुत करें।"*

26. संसदीय प्रक्रिया की नियम-पुस्तिका के पैरा 11.5.1 के अनुसार, प्रकाशन के बाद, नियमों आदि को यथासमय शीघ्र सभा पटल पर रखा जाएगा और, किसी भी अवस्था में 15 दिन (राष्ट्रपति

शासन के अधीन राज्य से संबंधित अधिसूचनाओं के मामले में 30 दिन) के भीतर ऐसा किया जाएगा और इस अवधि की गणना:

(क) यदि सदन का सत्र चल रहा हो तो सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित किए जाने की तारीख से; अथवा

(ख) यदि सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो, अगले सत्र के प्रारंभ होने की तारीख से की जाएगी।

27. इस सचिवालय के दिनांक 25.06.2021, 17.08.2021, 25.10.2021, 10.11.2021, 09.12.2021, 30.05.2022 और 12.07.2022 के कार्यालय ज्ञापनों के द्वारा रक्षा मंत्रालय को मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत तैयार किए गए नियमों/विनियमों/संविधि/अध्यादेश आदि की स्थिति और इन्हें सभा पटल पर रखने से संबंधित ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसके उत्तर में, रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग द्वारा प्रशासित किए जा रहे अधिनियमों से संबंधित स्थिति ने केवल सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 और छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नियमों सभा पटल पर रखने के संबंध में निम्नवत् बताया:-

<u>सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007</u>

"सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 के तहत समूह-क, समूह-ख, समूह-ग और लेखा संवर्ग पदों के लिए भर्ती नियम बनाए गए और उसके बाद बजट सत्र, 2022 संसद में प्रस्तुत किए गए । हालांकि समूह-ग के लिए भर्ती नियम, 2013 में, समूह-ख और ग के लिए 2018 में और लेखा संवर्ग के लिए 2019 में बनाए गए थे, जिन्हें संसद में प्रस्तुत करने में देरी हुई थी । माननीय रक्षा राज्य मंत्री द्वारा उक्त मामले में विलंब के लिए छूट प्राप्त करने पर मंत्रालय ने ये भर्ती नियम जनवरी, 2022 में प्रस्तुत किए थे।"

<u>छावनी अधिनियम, 2006</u>

"छावनी अधिनियम, 2006 के तहत बनाए जाने के लिए अपेक्षित सभी 13 नियमों/विनियमों को बनाया गया है और उन्हें माननीय रक्षा राज्य मंत्री के 'विलंब वक्तव्य' के साथ जहां कहीं भी लागू हो, इसके विलंब के कारण बताते हुए संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया है।"

<u>सिफारिशें/ टिप्पणियां</u>

28. रक्षा मंत्रालय से इस सचिवालय के कार्यालय ज्ञापन <u>के माध्यम से</u> अनुरोध किया गया था, जैसा कि ऊपर पैरा 27 में उल्लेख किया गया है और दिनांक 29.11.2022 को रक्षा विभाग द्वारा ब्रीफिंग लेते समय भी अनुरोध किया गया था कि वह अन्य जानकारी के अलावा, प्रत्येक अधिनियम के तहत अधिसूचित सभी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं को दोनों सदनों में रखे जाने की तिथियां उपलब्ध कराए। समिति इस बात पर नोट करके चिंतित है कि अधिनियमों के तहत तैयार किए गए सभी नियमों को रखे जाने करने का विवरण प्रस्तुत करते समय, रक्षा विभाग ने केवल सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 और छावनी अधिनियम, 2006 के तहत दोनों सदनों के सभा पटल पर रखे जाने वाले नियमों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रस्तुत की थी। उपलब्ध कराई गई जानकारी अधूरी थी क्योंकि इन दोनों अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों/विनियमों का उल्लेख नहीं

किया गया था। इसके अलावा, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 के संबंध में विभाग ने समूह 'क' 'ख' और 'ग' और लेखा संवर्ग के पदों के लिए केवल भर्ती नियमों को रखे जाने के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान की थी। अधिनियम की धारा 41 के तहत बनाए जाने हेतु अपेक्षित अन्य नियमों को रखे जाने से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

29. समिति इस बात पर नोट करके स्तब्ध है कि विभाग द्वारा प्रदान की गई सीमित जानकारी कि मंत्रालय ने सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 के तहत वर्ष 2013, 2018 और 2019 में अधिसूचित भर्ती नियमों को सभा पटल में रखने में 3 से 9 वर्ष का विलम्ब हुआ था क्योंकि यह सभी नियम, 2022 में सभा पटल पर रखे गए थे। विभाग ने केवल यह उल्लेख किया था कि इन नियमों को चूक वश समय पर संसद के समक्ष नहीं रखा जा सका।

30. इस प्रकार, समिति इस प्रकार के विलंब को नोट करती है और उसका मत है कि समय पर 'आदेश' तैयार करने और सभा पटल पर रखने से संबंधित मामलों के संबंध में विभाग द्वारा ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। समिति का यह दृढ़ मत है कि यदि नियमों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर नहीं रखा जाता है, तो इसे प्रत्येक अधिनियम में उपबंधित सांविधिक दायित्व का उल्लंघन माना जाएगा। समिति का मत है कि रक्षा विभाग को समिति द्वारा बार-बार दोहराई जाने वाली सिफारिशों में यथा-निर्धारित और संसदीय प्रक्रिया नियमपुस्तिका में यथा विहित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करना चाहिए जिसमें इस बात पर बार-बार बल दिया गया है कि नियमों/विनियमों को अधिसूचित किए जाने के 15 दिनों की अवधि (कोई भी राज्य जहां राष्ट्रपति शासन लागू हो उनके मामले में 30 दिन) के भीतर सदनों के सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। समिति यह भी चाहती है कि विभाग, 'आदेशों' को संसद के समक्ष रखने के लिए एक त्रुटिरहित प्रणाली विकसित करे, ताकि इस तरह के अनुचित विलंब की पुनरावृत्ति न हो। समिति चाहती है कि विभाग, भविष्य में इस प्रकार के विलंब से बचने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराए।

31. समिति, विभाग को उसके अधीनस्थ कार्यालय द्वारा प्रशासित/कार्यान्वित किए जा रहे प्रत्येक अधिनियम के तहत अधीनस्थ विधान तैयार करने, उसे अधिसूचित करने और सभा पटल पर रखने के संबंध में आंकड़ों का संकलन करने और प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखे जाने के छह माह के भीतर समिति द्वारा विचार करने के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने की सिफारिश करती है।

ङ. <u>रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के अंतर्गत तैयार किए गए नियम/विनियम</u>

32. विभाग ने दिनांक 26.11.2022 के पृष्ठभूमि टिप्पण में रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के उद्देश्य के बारे में निम्नवत् बताया:-

"इस अधिनियम का उद्देश्य रक्षा कार्यों के आसपास के क्षेत्र में भूमि के उपयोग और लाभ पर प्रतिबंध लगाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यों/ रक्षा के कार्यों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवास, निर्माण और अन्य गतिविधियों को एक तरह से सुगम बनाया जा सके। और साथ ही साथ रक्षा के कार्यों के आसपास बसने वाली आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दूसरी ओर संभावित प्रतिबंधों वाली ऐसी भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को उचित मुआवजे का भुगतान करना।"

33. रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 की धारा 44 में नियम बनाने की शक्ति निर्धारित की गई है, जो निम्नवत् है**:**

*"44. **नियम बनाने की शक्ति**—(1) [केन्द्रीय सरकार,] उन सभी बातों के बारे में जो इस अधिनियम के प्रवर्तन से संबंधित हैं अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए [नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी]।*
(2) उपधारा (2) के अधीन नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएं।

[(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]"

34. विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पृष्ठभूमि सामग्री में यह देखा गया है कि रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के अंतर्गत कोई नियम तैयार नहीं किया गया है।

35. जब रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के अंतर्गत नियम तैयार नहीं किए जाने के कारणों के बारे में पूछा गया, तो विभाग के प्रतिनिधियों ने दिनांक 29.11.2022 को संक्षिप्त जानकारी के लिए आयोजित बैठक के दौरान समिति को निम्नवत् बताया:-

"रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 अत्यंत पुराना अधिनियम है और इसे ब्रिटिश काल के दौरान अधिसूचित किया गया था, साथ ही यह एक अत्यंत विस्तृत विधान है। इसके लिए कोई नियम तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, कोई नियम तैयार नहीं किया गया।"

<u>सिफारिशें/ टिप्पणियां</u>

36. समिति नोट करती है कि रक्षा मंत्रालय में रक्षा विभाग ने अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में यह उल्लेख किया है कि अधिनियम का उद्देश्य रक्षा संकर्मों के आसपास की भूमि के उपयोग करने और उसका लाभ उठाने पर प्रतिबंध लगाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक ओर निवास, निर्माण और अन्य क्रियाकलापों को इस प्रकार सुकर बनाया जा सके जिससे रक्षा संकर्म/ संकर्मों की सुरक्षा तथा संरक्षा सुनिश्चित की जा सके और वहीं

दूसरी ओर लगाए जाने वाले औचित्यपूर्ण प्रतिबंध के कारण ऐसी भूमि के इच्छुक व्यक्तियों को उचित मुआवजे का भुगतान किया जा सके।

37. समिति आगे नोट करती है कि रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 की धारा 44, केंद्र सरकार को इस अधिनियम के प्रवर्तन से संबंधित सभी मामलों में अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाने हेतु शक्तियां प्रदान करती है। तथापि, विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पृष्ठभूमि सामग्री से यह पाया गया है कि रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के अंतर्गत इस आधार पर कोई नियम नहीं बनाया गया है कि रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903, वर्ष 1903 का एक पुराना अधिनियम है जिसे ब्रिटिश काल के दौरान अधिसूचित किया गया था और यह एक बहुत व्यापक विधान है जिसमें किसी नियम को तैयार किए जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, कोई नियम नहीं बनाए गए थे।

38. तथापि, समिति रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के अंतर्गत अधीनस्थ विधान तैयार नहीं किए जाने के लिए विभाग द्वारा दिए गए इस औचित्य से सहमत नहीं है कि यह विधान अत्यंत विस्तृत और पुराना है, अतः इसके लिए कोई नियम तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। समिति की राय है कि रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903, 120 वर्ष पुराना अधिनियम है, जिसे अंतिम बार वर्ष 1974 में संशोधित किया गया था, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 44 के तहत, अधिनियम के प्रवर्तन से संबंधित सभी मामलों में अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार के लिए नियम तैयार करने हेतु उपबंध को शामिल किया गया था।

39. समिति का मत है कि पिछले 120 वर्षों की अवधि में कुछ रक्षा प्रतिष्ठानों में और उनके आसपास की स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है, और संपत्ति विस्तार में वृद्धि के कारण, कुछ क्षेत्रों में बस्तियां पुराने रक्षा प्रतिष्ठानों, जिन्हें एक सदी पूर्व गहन जंगल या मानव बस्तियों से दूर खाली भूमि में स्थापित किया गया था, के अत्यंत निकट आ गई हैं। ऐसे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय को समय-समय पर नागरिकों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों में संशोधन करना चाहिए था और समय के साथ तालमेल रखने के लिए इससे संबंधित दिशा-निर्देशों और निदेशों आदि में भी संशोधन करना चाहिए था। अतः, समिति का यह दृढ़ मत है कि एक सदी से अधिक समय में हुए ऐसे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को ध्यान में रखने के लिए, विभाग इस सदी पुराने अधिनियम की समीक्षा करने और ऐसे परिवर्तनों का समाधान करने के लिए उपयुक्त उपबंधों को शामिल करते हुए नियम तैयार करने का कार्य कर सकता है तथा कार्यकारी अनुदेशों या परिपत्रों या दिशा-निर्देशों को जारी करके अपेक्षित अधीनस्थ विधान तैयार करने से बच सकता है।

40. समिति का यह भी मत है कि यदि संसद द्वारा पारित अधिनियम में अधीनस्थ विधान तैयार करने का उपबंध किया गया है, तो इसे निर्धारित समयावधि के भीतर तैयार कर लिया जाना चाहिए और यदि विभाग इसके लिए नियम/विनियम तैयार करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता है, तो ऐसे मामलों में, मंत्रालय को विधि और न्याय मंत्रालय से परामर्श करना चाहिए और यदि विधि और न्याय मंत्रालय भी संबंधित विभाग के मत से सहमत है तो

विभाग को दोनों सभाओं के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें उन कारणों को रेखांकित किया जाना चाहिए कि विभाग उक्त अधिनियम के उपबंध के अंतर्गत अधीनस्थ विधान तैयार करने की आवश्यकता महसूस क्यों नहीं करता है। समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह तदनुसार कार्रवाई करे और सभा में इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के 6 माह के भीतर समिति को इस संबंध में की-गई-कार्रवाई से अवगत कराए।

च. <u>छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत तैयार किए गए नियम/विनियम</u>

41. विभाग ने दिनांक 26.11.2022 के अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में छावनी अधिनियम**,** 2006 के उद्देश्य के बारे में निम्नवत् बताया:-

> *"यह अधिक से अधिक लोकतंत्रीकरण प्रदान करने, विकासात्मक गतिविधियों हेतु प्रावधान बनाने के लिए उनके वित्तीय आधार में सुधार और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए छावनियों के प्रशासन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है।"*

42. छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत तैयार किए गए नियमों/विनियमों के संबंध में विभाग ने निम्नवत् बताया:-

> *"छावनी अधिनियम, 2006 के तहत कुल 13 नियम/विनियम बनाने की आवश्यकता थी और सभी नियमों/विनियमों को संसद के दोनों सदनों में तैयार किया गया और सभा पटल पर रखा गया। संसद में सभी 13 नियमों को रखे जाने की नवीनतम स्थिति (अनुबंध–ञ) संलग्न है।"*

43. तथापि, अनुबंध-ञ के अवलोकन पर यह पाया गया कि छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विनियमों को तैयार किए जाने और उन्हें सभा पटल पर रखे जाने की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए विभाग ने निम्नवत् बताया:

> *"यह सूचित किया जाता है कि छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत केवल विनियम तैयार किए जाने अपेक्षित हैं। यह भी सूचित किया जाता है कि छावनी अधिनियम, 2006 के लागू होने से पहले छावनी बोर्डों द्वारा बनाए गए विनियम अभी भी लागू हैं और उक्त अधिनियम की धारा 360(2) के अनुसार उक्त अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत बनाए गए माने जाते हैं।"*

44. मंत्रालय ने छावनी अधिनियम, 2006 की क्रमशः धारा 348 और 350(4) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा उपनियम तैयार करने और उन्हें दोनों सदनों में रखने से संबंधित स्थिति के बारे में नहीं बताया है।

<u>सिफारिशें/ टिप्पणियां</u>

45. समिति नोट करती है कि रक्षा विभाग ने अपने पृष्ठाधार टिप्पण में बताया है कि छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कुल 13 नियमों को बनाने की आवश्यकता थी और सभी को बना लिया गया है और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जा चुका है। विनियमों को बनाए जाने की स्थिति के संबंध में, विभाग ने बताया कि छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत केवल व्यावसायिक विनियमों को बनाए जाने की आवश्यकता है। आगे

यह सूचित किया गया है कि छावनी अधिनियम, 2006 के लागू होने से पूर्व छावनी बोर्डों द्वारा बनाए गए व्यवसाय विनियम लागू रहेंगे क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 360 (2) (क) के अनुसार अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत बने हुए माने गए हैं (अनुबंध–ञ)। विभाग ने छावनी अधिनियम, 2006 की क्रमशः धारा 348 और 350(4) के अनुसार बनाए गए और संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे उपनियम की स्थिति स्पीष्ट, नहीं की।

46. शुरू में छावनी क्षेत्र शहरों से काफी दूरी पर बनाए गए थे, जो एक शांतिपूर्ण और रमणीय जीवन शैली प्रदान करते थे। हालांकि, जैसे-जैसे समय के साथ शहरों का विकास हुआ और उनका विस्तार हुआ, उन्होंने इनमें से अधिकांश छावनियों पर अतिक्रमण कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप उनमें भीड़भाड़ और प्रद्रूषण बढ़ गया तथा उनके भीतर नागरिक क्षेत्र अनियोजित रूप से विकसित हो गए। परिणाम यह निकला कि इससे जनसंख्या विस्फोट, संपत्तियों के व्यावसायीकरण, तथा सरकार और स्थानीय निवासियों के बीच भूमि पट्टा समझौते की समाप्ति जैसे कई मुद्दे पैदा हो गए। जब तक इन पट्टों को नवीनीकृत नहीं किया जाता है या फ्रीहोल्ड खरीद की अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक अनाधिकृत निर्माण के मुद्दे सामने आते रहेंगे, जो अंततः अदालतों में पहुँच जाएंगे। इन समस्याओं के निराकरण के लिए छावनी अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया, जिसने 1924 के पूर्ववर्ती छावनी अधिनियम को बदल दिया। नए अधिनियम का उद्देश्य व्यापक लोकतंत्रीकरण प्रक्रिया शुरू करना और छावनियों में विकासात्मक गतिविधियां बढ़ाने के लिए वित्तीय आधार में सुधार करना है।

47. समिति आगे नोट करती है कि छावनियों के प्रशासन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने की प्रक्रिया में, छावनी अधिनियम, 2006 में कुछ नए उपबंध जोड़े गए थे। जिसके परिणामस्वरूप धाराओं की व्यवस्था बदल दी गई है और जो उपबंध छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 44 के अंतर्गत विनियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित करता हैं अब छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 48 के अंतर्गत आ गया है जो अब निम्नवत पढ़ा जाएगा:-

> "48. विनियम बनाने की शक्ति-(1) बोर्ड इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत, निम्नलिखित में सभी या उनमें से किन्हीं के लिए विषयों का उपबन्ध करने के लिए विनियम बना सकेगा, अर्थात्ः-
>
> (क) उसके अधिवेशनों का समय और स्थान;
>
> (ख) वह रीति, जिससे अधिवेशन की सूचना दी जाएगी;
>
> (ग) अधिवेशनों में कार्यवाहियों का संचालन तथा अधिवेशनों का स्थगन;
>
> (घ) बोर्ड की सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा तथा वे प्रयोजन जिसके लिए वह काम में लाई जाएगी; तथा
>
> (ङ) किसी प्रयोजन के लिए समितियों की नियुक्ति तथा ऐसी समितियों के गठन और प्रक्रिया से संबंधित सब विषयों का अवधारण तथा इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों या कर्तव्यों में से विनियमों या उपविधियों को बनाने की शक्तियों के सिवाय किन्हीं का, ऐसी किन्हीं शर्तों पर जो बोर्ड अधिरोपित करना ठीक समझता है ऐसी समितियों को प्रत्यायोजन"

48. समिति नोट करती है कि छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 39, 47, 67 और 204 के उपबंधों के अनुसार विनियम बनाने के लिए निम्नवत पढ़ा जाए-:

"39. (1) प्रत्येक बोर्ड मास में कम से कम एक बार अपने कारबार का संव्यवहार ऐसे दिन करेगा जो अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए और उसकी सूचना ऐसी रीति में दी जाएगी जो इस अध्याय के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों में उपबन्धित की जाए।

(2) और (3) X X X

47. (1) किसी छावनी में धारा 12 के अधीन गठित प्रत्येक बोर्ड, एक समिति को नियुक्त करेगा जो, बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों, इस अधिनियम की धारा 46 के अधीन यथा अधिसूचित छावनी में सिविल क्षेत्र के प्रशासन के लिए स्वास्थ्य अधिकारी और कार्यपालक इंजीनियर से मिलकर बनेगी तथा धारा 48 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) में उपबन्धित रीति में अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को ऐसी समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(2) और (3) X X X

67. फीस का प्रभारण-बोर्ड, इस अधिनिमय के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित फीसें प्रभारित करेगा, अर्थात्:-

(क) से (च) X X X

(छ) ऐसी अन्य फीस जो बोर्ड विनियम द्वारा विहित करे।

204. सरकारी जल प्रदाय। —

(1) से (3) X X X

(4) बोर्ड, भूमिगत जल स्तर को संरक्षित रखने के लिए छावनी में खुदाई या बोर कुंओं के प्रयोग के लिए विनियम बना सकेगा।"

धारा 157(1)(ख) के अंतर्गत समादेशक अधिकारी के लिए एक उपबंध है कि वह आक्रमण या फैलने वाले रोगों की रोकथाम के लिए ऐसे अस्थायी विनियम बना सकेगा जिसका अनुपालन सर्व साधारण या सर्व साधारण के किसी वर्ग या अनुभाग द्वारा किया जाएगा। इसलिए, कोविड महामारी के समय, बोर्ड के समादेशक अधिकारी ने अस्थायी नियम बनाए होंगे।

49. इसलिए, समिति की यह दृढ़ राय है कि जनसांख्यिकीय स्थिति और छावनियों की विकासात्मक गतिविधियां, छावनियों के वर्गीकरण में गत वर्षों से भारी परिवर्तन आया है, इसलिए उनके कामकाज के लिए बनाए गए नियम, उप-विधि आदि में भी लगभग एक सदी के अंतराल में बदलाव आया होगा, जिसके कारण से स्वतंत्रता पूर्व 1924 के अधिनियम में विहित उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 204 के खंड (4) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा छावनी में भूमिगत जल स्तर को संरक्षित करने के क्रम में खुदाई या बोरवेल के उपयोग संबंधी बनाया गया आवश्यक विनियमन, छावनी अधिनियम, 1924 में मौजूद नहीं था। इसके अलावा, जिन मदों के अंतर्गत शुल्क लिया जाता है, उनमें बदलाव हो गया होगा। बैठक की प्रक्रिया, समितियों के गठन आदि में भी बदलाव हो गया होगा। इस प्रकार समिति यह महसूस करती है कि छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 360(2)(क) के आधार पर लागू होने वाले व्यापार विनियम वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।

50. इसलिए, समिति विभाग से यह सुनिश्चित करने के लिए 1924 के अधिनियम के अंतर्गत बने उन पुराने विनियमों की समीक्षा शुरू करने की सिफारिश करेगी कि क्या उस समय बनाए गए ये विनियम वर्तमान समय में भी अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। समिति यह भी चाहेगी कि विभाग उसे जो समीक्षा के बाद सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के छह महीने के भीतर ऐसे सभी नियमों/विनियमों की सूची प्रस्तुत करे, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 360 (2) (क) के अंतर्गत किए गए उपबंधों के अनुसार प्रवृत रहेंगे।

51. समिति आगे यह चाहती है कि संशोधन के दौरान यदि पैरा 43 में यथा उल्लिखित धारा 204(4) या धारा 157(1) के अंतर्गत बनाए जाने वाले विनियम सहित कोई नया विनियम(मों) बनाने की आवश्यकता है तो इसे इसे छावनी अधिनियम, 2006 के संगत उपबंधों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाए और समिति को इस संबंध में की गई अंतिम कार्रवाई से अवगत कराया जा सकता है।

52. समिति चाहती है कि विभाग छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 360(2)(क) के अंतर्गत लागू रहने वाले सभी विनियमों और बनाये जाने के लिए अपेक्षित नये विनियमो की एक सूची तैयार करें और संसद में उस प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तु त करे। छावनी अधिनियम, 1924 और 2006 के अंतर्गत आज की तारीख तक तैयार किए गए/संशोधित तथा अधिसूचित किए गए सभी वांछित विनियमों बनाई गई उपविधियों की स्थिति दर्शाने वाली सूची भी तैयार की जाए और संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुंत किए जाने के छह माह के भीतर वह समिति के विचारार्थ प्रस्तु त की जाए।

53. समिति आगे नोट करती है कि अधिनियम, 2006 की धारा 360(2)(क) को निम्नवत पढ़ा जाए:

> **"360(2)(क) - उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई नियुक्ति, अधिसूचना, किया गया आदेश, बनाई गई स्कीम, नियम, प्ररूप, जारी की गई सूचना या बनाई गई उपविधि और अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत नहीं है, प्रभावी बनी रहेगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई, किया गया, जारी की गई या अनुदत्त तब तक समझी जाएगी जब तक कि उसे उक्त उपबंधों के अधीन की गई नियुक्ति, जारी की गई अधिसूचना, किया गया आदेश, बनाई गई स्कीम, नियम, प्ररूप, जारी की गई सूचना या बनाई गई उपविधि या अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता।"**

54. जिस मामले पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है अभिव्यक्ति- अर्थात अधिनियम की उपरोक्त धारा में अधिसूचना, आदेश, योजना, किसी नियुक्ति, नियम, प्रपत्र, सूचना या बनाई गई उपविधि और दिए गए किसी भी लाइसेंस या अनुमति, का इस अधिनियम में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। हालाँकि, 'विनियम' अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं हुआ है। जैसा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समिति का मानना है कि धारा में 'विनियम' अभिव्यक्ति की अनुपस्थिति यह संदेह पैदा करती है कि क्या 1924 के अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए विनियम 2006 के अधिनियम की धारा

360(2)(क) में भी प्रवृत रहेंगे? इसलिए समिति चाहती है कि विभाग इस संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगे और समिति को इससे अवगत कराए।

नई दिल्ली;
23 मार्च, 2023
02 चैत्र, 1945 (शक)

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
सभापति,
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

परिशिष्ट-एक

(कृपया प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा 5 देखिए)

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन में की गईं सिफारिशों का सार

(सत्रहवीं लोक सभा)

क्र.सं.	प्रतिवेदन में पैरा सं. का संदर्भ	सिफारिशों का सार
1	20	<u>रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में रक्षा विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधान अर्थात् नियमों/विनियमों आदि को तैयार किए जाने की स्थिति</u> समिति नोट करती है कि रक्षा विभाग द्वारा प्रशासित किए जा रहे अधिनियमों का विवरण प्रस्तुत करते समय, विभाग ने अपने पृष्ठभूमि नोट दिनांक 26.11.2022 में केवल 5 अधिनियमों की सूची प्रस्तुत की थी और छावनी (गृह आवास) अधिनियम, 1923 के बारे में उल्लेख नहीं किया था जो कि बाद में विभाग द्वारा जोड़ा गया। विभाग की वेबसाइट के होमपेज पर भी इस तरह की असंगति पाई गई है, जहां उपरोक्त 6 अधिनियमों के अलावा 'अधिनियमों और नियमों' के आइकन के तहत, ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021, भारतीय रिजर्व बल अधिनियम, 1888, वायु सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957, सेना अधिनियम, 1950, सेना और वायु सेना (निजी संपत्ति का निपटान) अधिनियम, 1950 जैसे अन्य अधिनियम और कुछ और अधिनियम दिखाए गए हैं। मंत्रालय ने विभाग से बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद विभाग द्वारा वास्तव में प्रशासित किए जा रहे अधिनियमों की स्पष्ट सूची नहीं दी।
2	21	समिति चिंता के साथ आगे नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा प्रशासित किए जा रहे सभी अधिनियमों के संबंध में, अभी तक तैयार नहीं किए अथवा तैयार किए गए नियमों/विनियमों की स्थिति को दिए गए प्रारूप में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद, विभाग ने केवल छावनी अधिनियम, 2006 के संबंध में स्थिति उपलब्ध कराई और अन्य अधिनियमों के संबंध में, विवरण प्रस्तुत करने की बजाय, विभाग ने केवल यह उल्लेख किया कि, रक्षा विभाग द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के तहत बनाए जाने वाले सभी नियम/विनियम तैयार कर संसद के दोनों सदनों में रखे गए हैं।
3	22	समिति विभाग द्वारा संसदीय समिति को ऐसी असंगत और अधूरी जानकारी प्रस्तुत किए जाने को गंभीरता से लेती है। इस प्रकार, समिति का मत है कि जब किसी संसदीय समिति द्वारा कोई जानकारी मांगी जाती है, तो विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपेक्षित प्रारूप में पूरी जानकारी समिति को समय से प्रस्तुत की जाए। गलत और अधूरी सूचना प्रस्तुत करना मंत्रालय/विभाग में गंभीरता की कमी को दर्शाता है।
4	23	इस प्रकार, समिति अधीनस्थ विधान तैयार करने के प्रति मंत्रालय के इस लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है और समिति का यह

		भी दृढ़ मत है कि जब मंत्रालय को एक संसदीय समिति द्वारा उनके द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के तहत बनाए गए और दोनों सदनों के सभा पटल पर रखे गए नियमों की स्थिति उपलब्ध कराने को कहा गया तो मंत्रालय का ईमानदार प्रयास समिति को निर्धारित प्रारूप में सही अद्यतन जानकारी संकलित करके प्रस्तुत कराने का होना चाहिए था। इसलिए, समिति मंत्रालय को इसके लिए एक त्रुटिरहित प्रणाली विकसित करने और यदि आवश्यक हो तो अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का निदेश देती है ताकि अधीनस्थ विधान तैयार करने से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया, जैसा कि संसदीय प्रक्रिया की नियमावली में विस्तार से उल्लेख किया गया है, का अक्षरश: पालन किया जा सके। मंत्रालय को उसके द्वारा प्रशासित अथवा कार्यान्वित किए जा रहे अधिनियमों तथा नियमों/विनियमों/अध्यादेशों/संविधियों आदि की स्थिति का ब्यौरा मंत्रालय के वेबपेज पर अद्यतन करने के लिए एक प्रणाली भी विकसित करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे नियमित रूप से अद्यतन भी किया जाए। समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।
5	28	रक्षा मंत्रालय से इस सचिवालय के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया गया था, जैसा कि ऊपर पैरा 27 में उल्लेख किया गया है और दिनांक 29.11.2022 को रक्षा विभाग द्वारा ब्रीफिंग लेते समय भी अनुरोध किया गया था कि वह अन्य जानकारी के अलावा, प्रत्येक अधिनियम के तहत अधिसूचित सभी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं को दोनों सदनों में रखे जाने की तिथियां उपलब्ध कराए। समिति इस बात पर नोट करके चिंतित है कि अधिनियमों के तहत तैयार किए गए सभी नियमों को रखे जाने करने का विवरण प्रस्तुत करते समय, रक्षा विभाग ने केवल सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 और छावनी अधिनियम, 2006 के तहत दोनों सदनों के सभा पटल पर रखे जाने वाले नियमों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रस्तुत की थी। उपलब्ध कराई गई जानकारी अधूरी थी क्योंकि इन दोनों अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों/विनियमों का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अलावा, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 के संबंध में विभाग ने समूह 'क' 'ख' और 'ग' और लेखा संवर्ग के पदों के लिए केवल भर्ती नियमों को रखे जाने के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान की थी। अधिनियम की धारा 41 के तहत बनाए जाने हेतु अपेक्षित अन्य नियमों को रखे जाने से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
6	29	समिति इस बात पर नोट करके स्तब्ध है कि विभाग द्वारा प्रदान की गई सीमित जानकारी कि मंत्रालय ने सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 के तहत वर्ष 2013, 2018 और 2019 में अधिसूचित भर्ती नियमों को सभा पटल में रखने में 3 से 9 वर्ष का विलम्ब हुआ था क्योंकि यह सभी नियम, 2022 में सभा पटल पर रखे गए थे। विभाग ने केवल यह उल्लेख किया था कि इन नियमों को चूक वश समय पर संसद के समक्ष नहीं रखा जा सका।
7	30	इस प्रकार, समिति इस प्रकार के विलंब को नोट करती है और उसका मत है कि समय पर 'आदेश' तैयार करने और सभा पटल पर रखने से संबंधित मामलों के संबंध में विभाग द्वारा ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। समिति का यह दृढ़ मत है कि यदि नियमों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर नहीं रखा जाता है, तो इसे प्रत्येक अधिनियम में उपबंधित सांविधिक दायित्व का उल्लंघन माना जाएगा। समिति का मत है कि रक्षा विभाग को

		समिति द्वारा बार-बार दोहराई जाने वाली सिफारिशों में यथा-निर्धारित और संसदीय प्रक्रिया नियमपुस्तिका में यथा विहित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करना चाहिए जिसमें इस बात पर बार-बार बल दिया गया है कि नियमों/विनियमों को अधिसूचित किए जाने के 15 दिनों की अवधि (कोई भी राज्य जहां राष्ट्रपति शासन लागू हो उनके मामले में 30 दिन) के भीतर सदनों के सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। समिति यह भी चाहती है कि विभाग, 'आदेशों' को संसद के समक्ष रखने के लिए एक त्रुटिरहित प्रणाली विकसित करे, ताकि इस तरह के अनुचित विलंब की पुनरावृत्ति न हो। समिति चाहती है कि विभाग, भविष्य में इस प्रकार के विलंब से बचने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराए।
8	31	समिति, विभाग को उसके अधीनस्थ कार्यालय द्वारा प्रशासित/कार्यान्वित किए जा रहे प्रत्येक अधिनियम के तहत अधीनस्थ विधान तैयार करने, उसे अधिसूचित करने और सभा पटल पर रखने के संबंध में आंकड़ों का संकलन करने और प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखे जाने के छह माह के भीतर समिति द्वारा विचार करने के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने की सिफारिश करती है।
9	36	समिति नोट करती है कि रक्षा मंत्रालय में रक्षा विभाग ने अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में यह उल्लेख किया है कि अधिनियम का उद्देश्य रक्षा संकर्मों के आसपास की भूमि के उपयोग करने और उसका लाभ उठाने पर प्रतिबंध लगाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक ओर निवास, निर्माण और अन्य क्रियाकलापों को इस प्रकार सुकर बनाया जा सके जिससे रक्षा संकर्मसंकर्मों की सुरक्षा तथा संरक्षा सुनिश्चित की जा सके / और वहीं दूसरी ओर लगाए जाने वाले औचित्यपूर्ण प्रतिबंध के कारण ऐसी भूमि के इच्छुक व्यक्तियों को उचित मुआवजे का भुगतान किया जा सके।
10	37	समिति आगे नोट करती है कि रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 की धारा 44, केंद्र सरकार को इस अधिनियम के प्रवर्तन से संबंधित सभी मामलों में अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाने हेतु शक्तियां प्रदान करती है। तथापि, विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पृष्ठभूमि सामग्री से यह पाया गया है कि रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के अंतर्गत इस आधार पर कोई नियम नहीं बनाया गया है कि रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903, वर्ष 1903 का एक पुराना अधिनियम है जिसे ब्रिटिश काल के दौरान अधिसूचित किया गया था और यह एक बहुत व्यापक विधान है जिसमें किसी नियम को तैयार किए जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, कोई नियम नहीं बनाए गए थे।
11	38	तथापि, समिति रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के अंतर्गत अधीनस्थ विधान तैयार नहीं किए जाने के लिए विभाग द्वारा दिए गए इस औचित्य से सहमत नहीं है कि यह विधान अत्यंत विस्तृत और पुराना है, अतः इसके लिए कोई नियम तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। समिति की राय है कि रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903, 120 वर्ष पुराना अधिनियम है, जिसे अंतिम बार वर्ष 1974 में संशोधित किया गया था, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 44 के तहत, अधिनियम के प्रवर्तन से संबंधित सभी मामलों में अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार के लिए नियम तैयार करने हेतु उपबंध को शामिल किया गया था।
12	39	समिति का मत है कि पिछले 120 वर्षों की अवधि में कुछ रक्षा प्रतिष्ठानों में और उनके आसपास की स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है, और संपत्ति

		विस्तार में वृद्धि के कारण, कुछ क्षेत्रों में बस्तियां पुराने रक्षा प्रतिष्ठानों, जिन्हें एक सदी पूर्व गहन जंगल या मानव बस्तियों से दूर खाली भूमि में स्थापित किया गया था, के अत्यंत निकट आ गई हैं। ऐसे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय को समय-समय पर नागरिकों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों में संशोधन करना चाहिए था और समय के साथ तालमेल रखने के लिए इससे संबंधित दिशा-निर्देशों और निदेशों आदि में भी संशोधन करना चाहिए था। अतः, समिति का यह दृढ़ मत है कि एक सदी से अधिक समय में हुए ऐसे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को ध्यान में रखने के लिए, विभाग इस सदी पुराने अधिनियम की समीक्षा करने और ऐसे परिवर्तनों का समाधान करने के लिए उपयुक्त उपबंधों को शामिल करते हुए नियम तैयार करने का कार्य कर सकता है तथा कार्यकारी अनुदेशों या परिपत्रों या दिशा-निर्देशों को जारी करके अपेक्षित अधीनस्थ विधान तैयार करने से बच सकता है।
13	40	समिति का यह भी मत है कि यदि संसद द्वारा पारित अधिनियम में अधीनस्थ विधान तैयार करने का उपबंध किया गया है, तो इसे निर्धारित समयावधि के भीतर तैयार कर लिया जाना चाहिए और यदि विभाग इसके लिए नियम/विनियम तैयार करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता है, तो ऐसे मामलों में, मंत्रालय को विधि और न्याय मंत्रालय से परामर्श करना चाहिए और यदि विधि और न्याय मंत्रालय भी संबंधित विभाग के मत से सहमत है तो विभाग को दोनों सभाओं के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें उन कारणों को रेखांकित किया जाना चाहिए कि विभाग उक्त अधिनियम के उपबंध के अंतर्गत अधीनस्थ विधान तैयार करने की आवश्यकता महसूस क्यों नहीं करता है। समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह तदनुसार कार्रवाई करे और सभा में इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के 6 माह के भीतर समिति को इस संबंध में की-गई-कार्रवाई से अवगत कराए।
14	45	समिति नोट करती है कि रक्षा विभाग ने अपने पृष्ठाधार टिप्पण में बताया है कि छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कुल 13 नियमों को बनाने की आवश्यकता थी और सभी को बना लिया गया है और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जा चुका है। विनियमों को बनाए जाने की स्थिति के संबंध में, विभाग ने बताया कि छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत केवल व्यावसायिक विनियमों को बनाए जाने की आवश्यकता है। आगे यह सूचित किया गया है कि छावनी अधिनियम, 2006 के लागू होने से पूर्व छावनी बोर्डों द्वारा बनाए गए व्यवसाय विनियम लागू रहेंगे क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 360 (2) (क) के अनुसार अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत बने हुए माने गए हैं (परिशिष्ट-ञ)। विभाग ने छावनी अधिनियम, 2006 की क्रमशः धारा 348 और 350(4) के अनुसार बनाए गए और संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे उपनियम की स्थिति स्पिष्ट) नहीं की।
15	46	छावनी क्षेत्र शहरों से काफी दूरी पर बनाए गए थे शुरू में, जो एक शांतिपूर्ण और रमणीय जीवन शैली प्रदान करते थे। हालांकि, जैसेजैसे समय के साथ - शहरों का विकास हुआ और उनका विस्तार हुआ, उन्होंने इनमें से अधिकांश छावनियों पर अतिक्रमण कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप उनमें भीड़भाड़ और प्रदूषण बढ़ गया तथा उनके भीतर नागरिक क्षेत्र अनियोजित रूप से विकसित हो गए। परिणाम यह निकला कि इससे जनसंख्या विस्फोट, संपत्तियों के व्यावसायीकरण, तथा सरकार और स्थानीय निवासियों के बीच भूमि पट्टा समझौते की समाप्ति जैसे कई मुद्दे पैदा हो गए। जब तक इन पट्टों को नवीनीकृत नहीं किया जाता है या फ्रीहोल्ड खरीद की अनुमति नहीं दी

		जाती है, तब तक अनाधिकृत निर्माण के मुद्दे सामने आते रहेंगेजो अंततः , अदालतों में पहुँच जाएंगे। इन समस्याओं के निराकरण के लिए छावनी अधिनियम ,2006 अधिनियमित किया गया, जिसने 1924 के पूर्ववर्ती छावनी अधिनियम को बदल दिया। नए अधिनियम का उद्देश्य व्यापक लोकतंत्रीकरण प्रक्रिया शुरू करना और छावनियों में विकासात्मक गतिविधियां बढ़ाने के लिए वित्तीय आधार में सुधार करना है।
16	47	समिति आगे नोट करती है कि छावनियों के प्रशासन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने की प्रक्रिया में, छावनी अधिनियम, 2006 में कुछ नए उपबंध जोड़े गए थे। जिसके परिणामस्वरूप धाराओं की व्यवस्था बदल दी गई है और जो उपबंध छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 44 के अंतर्गत विनियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित करता हैं अब छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 48 के अंतर्गत आ गया है जो अब निम्नवत पढ़ा जाएगा:- "48. विनियम बनाने की शक्ति-(1) बोर्ड इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत, निम्नलिखित में सभी या उनमें से किन्हीं के लिए विषयों का उपबन्ध करने के लिए विनियम बना सकेगा, अर्थात्:- (क) उसके अधिवेशनों का समय और स्थान; (ख) वह रीति, जिससे अधिवेशन की सूचना दी जाएगी; (ग) अधिवेशनों में कार्यवाहियों का संचालन तथा अधिवेशनों का स्थगन; (घ) बोर्ड की सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा तथा वे प्रयोजन जिसके लिए वह काम में लाई जाएगी; तथा (ङ) किसी प्रयोजन के लिए समितियों की नियुक्ति तथा ऐसी समितियों के गठन और प्रक्रिया से संबंधित सब विषयों का अवधारण तथा इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों या कर्तव्यों में से विनियमों या उपविधियों को बनाने की शक्तियों के सिवाय किन्हीं का, ऐसी किन्हीं शर्तों पर जो बोर्ड अधिरोपित करना ठीक समझता है ऐसी समितियों को प्रत्यायोजन"
17	48	समिति नोट करती है कि छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 39, 47, 67 और 204 के उपबंधों के अनुसार विनियम बनाने के लिए निम्नवत पढ़ा जाए-: "39. (1) प्रत्येक बोर्ड मास में कम से कम एक बार अपने कारबार का संव्यवहार ऐसे दिन करेगा जो अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए और उसकी सूचना ऐसी रीति में दी जाएगी जो इस अध्याय के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों में उपबन्धित की जाए। (2) और (3) X X 47. (1) किसी छावनी में धारा 12 के अधीन गठित प्रत्येक बोर्ड, एक समिति को नियुक्त करेगा जो, बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों, इस अधिनियम की धारा 46 के अधीन यथा अधिसूचित छावनी में सिविल क्षेत्र के प्रशासन के लिए स्वास्थ्य अधिकारी और कार्यपालक

		इंजीनियर से मिलकर बनेगी तथा धारा 48 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) में उपबन्धित रीति में अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को ऐसी समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगा । (2) और (3) X X 67. फीस का प्रभारण-बोर्ड, इस अधिनिमय के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित फीसें प्रभारित करेगा, अर्थात्:- (क) से (च) X X (छ) ऐसी अन्य फीस जो बोर्ड विनियम द्वारा विहित करे। 204. सरकारी जल प्रदाय। — (1) से (3) X X X (4) बोर्ड, भूमिगत जल स्तर को संरक्षित रखने के लिए छावनी में खुदाई या बोर कुंओं के प्रयोग के लिए विनियम बना सकेगा।" धारा 157(1)(ख) के अंतर्गत समादेशक अधिकारी के लिए एक उपबंध है कि वह आक्रमण या फैलने वाले रोगों की रोकथाम के लिए ऐसे अस्थायी विनियम बना सकेगा जिसका अनुपालन सर्व साधारण या सर्व साधारण के किसी वर्ग या अनुभाग द्वारा किया जाएगा। इसलिए, कोविड महामारी के समय, बोर्ड के समादेशक अधिकारी ने अस्थायी नियम बनाए होंगे।
18	49	इसलिए, समिति की यह दृढ़ राय है कि जनसांख्यिकीय स्थिति और छावनियों की विकासात्मक गतिविधियां, छावनियों के वर्गीकरण में गत वर्षों से भारी परिवर्तन आया है, इसलिए उनके कामकाज के लिए बनाए गए नियम, उप-विधि आदि में भी लगभग एक सदी के अंतराल में बदलाव आया होगा, जिसके कारण से स्वतंत्रता पूर्व 1924 के अधिनियम में विहित उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 204 के खंड (4) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा छावनी में भूमिगत जल स्तर को संरक्षित करने के क्रम में खुदाई या बोरवेल के उपयोग संबंधी बनाया गया आवश्यक विनियमन, छावनी अधिनियम, 1924 में मौजूद नहीं था। इसके अलावा, जिन मदों के अंतर्गत शुल्क लिया जाता है, उनमें बदलाव हो गया होगा। बैठक की प्रक्रिया, समितियों के गठन आदि में भी बदलाव हो गया होगा। इस प्रकार समिति यह महसूस करती है कि छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 360(2)(क) के आधार पर लागू होने वाले व्यापार विनियम वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।
18	50	इसलिए, समिति विभाग से यह सुनिश्चित करने के लिए 1924 के अधिनियम के अंतर्गत बने उन पुराने विनियमों की समीक्षा शुरू करने की सिफारिश करेगी कि क्या उस समय बनाए गए ये विनियम वर्तमान समय में भी अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। समिति यह भी चाहेगी कि विभाग उसे जो समीक्षा के बाद सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के छह महीने के भीतर ऐसे सभी नियमों/विनियमों की सूची प्रस्तुत करे, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 360 (2) (क) के अंतर्गत किए गए उपबंधों के अनुसार प्रवृत रहेंगे।

19	51	समिति आगे यह चाहती है कि संशोधन के दौरान यदि पैरा 43 में यथा उल्लिखित धारा 204(4) या धारा 157(1) के अंतर्गत बनाए जाने वाले विनियम सहित कोई नया विनियम(मों) बनाने की आवश्यकता है तो इसे इसे छावनी अधिनियम, 2006 के संगत उपबंधों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाए और समिति को इस संबंध में की गई अंतिम कार्रवाई से अवगत कराया जा सकता है।
20	52	समिति चाहती है कि विभाग छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 360(2)(क) के अंतर्गत लागू रहने वाले सभी विनियमों और बनाये जाने के लिए अपेक्षित नये विनियमो की एक सूची तैयार करें और संसद में उस प्रतिवेदन के प्रस्तुवत करने के एक माह के भीतर उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुतत करे। छावनी अधिनियम, 1924 और 2006 के अंतर्गत आज की तारीख तक तैयार किए गए/संशोधित तथा अधिसूचित किए गए सभी वांछित विनियमों बनाई गई उपविधियों की स्थिति दर्शाने वाली सूची भी तैयार की जाए और संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुलत किए जाने के छह माह के भीतर वह समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जाए।
21	53	समिति आगे नोट करती है कि अधिनियम, 2006 की धारा 360(2)(क) को निम्नवत पढ़ा जाए: "360(2)(क) - उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई नियुक्ति, अधिसूचना, किया गया आदेश, बनाई गई स्कीम, नियम, प्ररूप, जारी की गई सूचना या बनाई गई उपविधि और अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत नहीं है, प्रभावी बनी रहेगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई, किया गया, जारी की गई या अनुदत्त तब तक समझी जाएगी जब तक कि उसे उक्त उपबंधों के अधीन की गई नियुक्ति, जारी की गई अधिसूचना, किया गया आदेश, बनाई गई स्कीम, नियम, प्ररूप, जारी की गई सूचना या बनाई गई उपविधि या अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता।"
22	54	जिस मामले पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है अभिव्यक्ति-अर्थात अधिनियम की उपरोक्त धारा में अधिसूचना, आदेश, योजना, किसी नियुक्ति, नियम, प्रपत्र, सूचना या बनाई गई उपविधि और दिए गए किसी भी लाइसेंस या अनुमति, का इस अधिनियम में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। हालाँकि, 'विनियम' अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं हुआ है। जैसा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समिति का मानना है कि धारा में 'विनियम' अभिव्यक्ति की अनुपस्थिति यह संदेह पैदा करती है कि क्या 1924 के अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए विनियम 2006 के अधिनियम की धारा 360(2)(क) में भी प्रवृत रहेंगे? इसलिए समिति चाहती है कि विभाग इस संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगे और समिति को इससे अवगत कराए।

परिशिष्ट-दो

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (2022-2023) की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (2022-2023) की दूसरी बैठक मंगलवार, 29 नवम्बर, 2022 को 1200 बजे से 1300 बजे तक समिति कक्ष संख्या '02', संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री वल्लभनेनी बालाशौरी - सभापति

सदस्य

2. श्री पिनाकी मिश्रा
3. डॉ प्रीतम गोपीनाथ राव .मुंडे
4. श्री चन्देश्वर प्रसाद
5. श्री नामा नागेश्वर राव
6. श्री संजय सेठ
7. डॉअमर सिंह .
8. श्री बृजेन्द्र सिंह

सचिवालय

1.	श्री वीमोहन .के .	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री मुरलीधरन पी	-	निदेशक
3.	श्रीमती जागृति तेवतिया	-	अपर निदेशक

साक्षियों की सूची
रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग)

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	पदनाम
1.	श्री गिरिधर अरमाने	रक्षा सचिव
2.	श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
3.	ले .जन अनिल पुरी .	अपर सचिव (डी एम ए)
4.	श्री अजय कुमार शर्मा	डी जी डी ई
5.	सुश्री रसिका चौबे	वित्त सलाहकार
6.	श्री पंकज अग्रवाल	डी जी (एसीक्यू.) एवं एएस (पीए)
7.	सुश्री दीप्ती मोहिल चावला	अपर सचिव
8.	श्री डीराय .के .	संयुक्त सचिव
9.	श्री राकेश मित्तल	संयुक्त सचिव
10.	श्री मनीष त्रिपाठी	संयुक्त सचिव
11.	डॉ अजय कुमार .	संयुक्त सचिव
12.	श्री मयंक तिवारी	संयुक्त सचिव
13.	श्री विश्वेश नेगी	संयुक्त सचिव
14.	सुश्री निष्ठा उपाध्याय	संयुक्त सचिव

15.	श्री वी पठानिया .एस .	डी जीआई सी जी ,
16.	रियर एडमिरल पुनीत चड्ढा	ए डी जी
17.	सुश्री सोनम यांग्दोल	अपर महानिदेशक

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात, रक्षा मंत्रालय में रक्षा विभाग के प्रतिनिधियों को "विभाग और विभाग के प्रशासनाधीन कार्यरत विभिन्न अन्य संबद्ध कार्यालयों, स्वायत्त निकायों/संस्थाओं/सांविधिक निकायों आदि के द्वारा कार्यान्वित और प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत नियम/विनियम आदि बनाने की स्थिति" के विषय पर जानकारी देने के लिए बुलाया गया । समिति की बैठक में विभाग के प्रतिनिधियों का स्वागत करने के पश्चात्, सभापति ने उनका ध्यान बैठक की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55 (1) की ओर आकृष्ट किया।

3. प्रथागत परिचय के पश्चात्, विभाग के प्रतिनिधि ने एक संक्षिप्त पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें विभाग की भूमिका और कार्यकरणों, उन अधिनियमों का विवरण, जिसके लिए अधीनस्थ विधान तैयार किए जाने अपेक्षित हैं, और तैयार किए गए उन अपेक्षित नियमों तथा विनियमों की स्थिति, जिन्हें दोनों सदनों के सभा पटल पर रख दिया गया है, के संबंध में जानकारी प्रदान की।

4. तत्पश्चात्, समिति ने 25 जून, 2021 के कार्यालय ज्ञापन और अनुवर्ती अनुस्मारकों द्वारा सचिवालय ने विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत नियमों/विनियमों को तैयार करने और उन्हें दोनों सदनों के सभा-पटल पर रखने से संबंधित वांछित स्थिति प्रस्तुत नहीं करने, छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नियमों/विनियमों को तैयार करने में विलंब और रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के अंतर्गत यथा अपेक्षित अधीनस्थ विधान तैयार करने में विलंब के कारणों, रक्षा क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही 'मेक इन इंडिया' योजना के अंतर्गत हुई प्रगति तथा रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई प्रमुख नीतियों, छावनी संबंधी मुद्दे, सैनिक स्कूलों के लिए स्थानों के चयन के लिए अपनाए जा रहे मानदण्डों तथा उनके द्वारा अपनाई जा रही प्रवेश प्रक्रिया, विभाग द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए किए गए उपाय आदि के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा।

5. विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। सभापति ने कुछेक ऐसे बिंदुओं, जिन पर विभाग के प्रतिनिधियों के पास तत्काल जानकारी उपलब्ध नहीं थी, से संबंधित लिखित जानकारी 15 दिनों के भीतर लोकसभा सचिवालय को भेजने के लिए कहा।

6. विचार-विमर्श के उपरांत, सभापति ने विषय के संबंध में समिति के समक्ष बहुमूल्य जानकारी प्रस्तुत करने के लिए रक्षा विभाग के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।

7. तत्पश्चात साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

बैठक की कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड अलग से रखा गया है।

<u>तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।</u>

परिशिष्ट- तीन

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (2022-2023) की दूसरी **बैठक का कार्यवाही सारांश से उद्धरण**

समिति (2022-23) की बारहवीं बैठक गुरुवार, 23 मार्च, 2023 को 1500 बजे से 1530 बजे तक सभापति कमरा संख्या 209, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

1. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी — सभापति

सदस्य

2. श्री चन्देश्वर प्रसाद
3. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
4. श्री सुरेश पुजारी
5. डॉ. अमर सिंह
6. श्री बृजेन्द्र सिंह
7. श्री सु. थिरूनवुक्करासर
8. श्री राम कृपाल यादव
9. श्री अरविंद सावंत

सचिवालय

1. श्री वी. के. मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री मुरलीधरन पी - निदेशक
3. श्रीमती जागृति तेवतिया - अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात समिति ने निम्नवत प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया:-

(i) xx xx xx xx

(ii) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में रक्षा विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधान अर्थात् नियमों/विनियमों आदि के तैयार किए जाने की स्थिति के संबंध में सत्ताईसवां प्रतिवेदन।

(iii) xx xx xx xx

(iv) xx xx xx xx

3. कुछ चर्चा के पश्चात् समिति ने उपर्युक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को बिना कोई परिवर्तन किए स्वीकार किया। समिति ने सभापति को सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत भी किया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

XX कार्यवाही सारांश का लोप किया गया भाग इस प्रतिवेदन के लिए प्रासंगिक नहीं है।

Annexure A-1 (२२५)

अनुलग्नक - A

Immediate

Ministry of Defence

D(Q&C)

***

Sub: Framing of Rules & Regulations under the Cantonments Act, 2006 – Regarding.

Reference is invited to email dated 15.07.2022 on the subject mentioned above.

2. The current status of framing of rules, regulations and statutes under the Cantonments Act, 2006 is enclosed herewith for information and further action. Accordingly, it is requested that the matter may be treated as complete.

(Rajesh Kumar Sah)
Deputy Director (Q&C)

o/c

D(Parl)

MoD ID No. 14(1)/2007-D(Q&C) dated 18.07.2022

Copy for information to:

(i) Rajya Sabha Secretariat w.r.t OM No. RS.21/7/2007-COSL dated 08.07.2022

(ii) Lok Sabha Secretariat w.r.t OM No. 24(1)/COSL/2021 dated 12.07.2022

PROFORMA

SUBORDINATE LEGISLATIONS (SLs) YET TO BE FRAMED UNDER THE ACTS PASSED BY THE PARLIAMENT

Ministry of Defence

Act(s) under which framing of Rules/Regulations/Statutes (SL) is/are pending / under process		Section / Sub-Section regarding framing of Rules / Regulations / Statutes	Date of Notification	If yet to be notified, likely date of Notification	Date of laying of SL in Parliament		Date of submission of Completion Certificate to CoSL, Rajya Sabha	Remarks
					Lok Sabha	Rajya Sabha		
2		3	4	5	6	7	8	9
	Rules : Number and Date of Gazette notification in which the rules are published							
The Cantonment Act, 2006	1. Cantonments (Payments of Allowances to Vice-President and Elected Members) Rules, 2011 published vide S.R.O. 6(E) dated 01.08.2011	Section 346	01.08.2011	NA	12.12.2011	14.12.2011		
	2. The Election of Vice-President of the Cantonment Board (Procedure) Rules, 2011 published vide S.R.O 10(E) Dated 04.11.2011	Section 19(3)	04.11.2011	NA	12.12.2011	07.12.2011		
	3. The Cantonment Electoral Rules, 2007 published vide S.R.O. 5(E) dated 21.08.2007	Section 31	21.08.2007	NA	03.12.2007	05.12.2007		
	4. The Grant of Leave to Members of Cantonment Board Rules, 2011 published vide S.R.O. 12(E) Dated 26.11 2011	Section 346(2)(k)	26.11.2011	NA	19.03.2012	21.03.2012		
	5. The Transfer of Property in Cantonments (Form of notice and manner of giving such notice) Rules, 2016 published vide S.R.O. 15(E) dated 30.12.2016	Section 346(2)(m)	30.12.2016	NA	10.03.2017	21.03.2017		
	6. The Cantonments (Execution of Warrants for the Attachment and Sale of Immovable Property) Rules, 2016 published vide S.R.O. 14(E) dated 30.12.2016	Section 105 (6)	30.12.2016	NA	10.03.2017	21.03.2017		

7. The Cantonments (Forms and Manner of Service of Notices) Rules, 2017 published vide S.R.O. 2(E) dated 24.01.2017	Section 346(2)(l)	24.01.2017	NA	10.03.2017	21.03.2017		
8. The Cantonments (Form of Annual Inspection Report) Rules, 2017 published vide S.R.O. 6(E) dated 03.05.2017	Section 346	03.05.2017	NA	27.12.2017	02.01.2018		
9. The Cantonments (Regulation of the Procedure of Committee of Arbitration) Rules, 2017 published vide S.R.O 15(E) dated 18.05.2017	Section 346(2)(i)	18.05.2017	NA	27.12.2017	02.01.2018		
10. The Cantonment Property Rules, 2017 published vide S.R.O. 31(E) dated 01.12.2017	Section 125	01.12.2017	NA	27.12.2017	02.01.2018		
11. The Cantonment Board Account Rules. 2020 published vide S.R.O. 2(E) dated 03.03.2020	Section 346(2)(f) read with Section 125	03.03.2020	NA	24.03.2021	28.03.2021		
12. Cantonment Board Employees Service Rules, 2021 Published vide S.R.O. 16(E) dated 13.10.2021	Section 346 (2)(d) & (e)	13.10.2021	NA	10.12.2021	13.12.2021		
13. The Cantonment Land Administration Rules, 2021, Published vide S.R.O. 24(E) dated 01.12.2021	Section 346(2) a&b	01.12.2021	NA	17.12.2021	20.12.2021		
Regulations*	It is informed that only Business Regulations are required to be framed under the Cantonments Act, 2006. It is further informed that the Business Regulations framed by the Cantonment Boards prior to coming into force of the Cantonments Act, 2006 continue to be in force and are deemed to have been made under the provisions of the Act *ibid* as per the Section 360(2) of the said Act.						
Statutes	(i)						
	(ii)						
	(iii)						

Annexure-B A
अनुबंध – 'ब'

(22)

Ministry of Defence

D(Q&C)

***

Sub: Framing of Rules & Regulations under Acts passed by the Parliament.

Reference Rajya Sabha Secretariat OM No. RS 7/4/2019-COSL dated 13.04.2021 on the subject mentioned above.

2. In this context, it is submitted that Cantonment Act, 2006 came into effect on 18.12.2006 after repealing Cantonment Act, 1924. Under the Cantonments Act, 1924, 13 Sets of Rules were in existence. In replacement of these 13 sets of Rules, 11 sets of Rules have already been finally notified. Of the remaining two sets of Rules i.e. Cantonment Fund Servant Rules (CFSR) and Cantonment Land Administration Rules (CLAR), it is submitted that the final draft of Cantonment Fund Servant Rules, 2021 has been approved by Hon'ble RM, which will be notified shortly, after vetting by M/o Law & Justice. Further, with the approval of Hon'ble RM, draft Cantonment Land Administration Rules, 2021 were notified in the Official Gazette on 23.06.2021 for inviting objections / suggestions from the public. Present status of framing of Rules is attached as **Annexure**.

3. Although, the remaining Rules are still effective and are saved under Section 360(2)(a) of the Cantonments Act, 2006, these Rules are required to be updated for which Ministry needs some additional time frame.

4. Since it is likely to take some more time for framing of remaining rules / regulations, it is, therefore, requested that further additional time of three months may kindly be granted for completion of framing of rules / regulations

5. This issues with the approval of Raksha Rajya Mantri

(Rajesh Kumar Sah)
Deputy Director (Q&C)

Shri Prem Singh, Additional Director, Rajya Sabha Secretariat

MoD ID No. 14(1)/2007-D(Q&C) dated 15.07.2021

Copy for information to:

1) Secretary, Legislative Department, Ministry of Law & Justice
2) Dr. Tina Soni, Deputy Secretary (Cabinet Secretariat) w.r.t ID No. 403/2/1/2015-CA.V/TS dated 19.05.2021.
3) D(Parl) w.r.t ID No. H-11011/2/2015/D(Parl)(Pt.) dated 01.06.2021.

(21)

Status of framing of Rules under Cantonments Act, 2006

A) Rules notified and laid on the table of both Houses of Parliament:

i) The Cantonment (Payment of Allowance to Vice President) Rules, 2011.

ii) The Election of Vice-President of the Cantonment Board (Procedure) Rules, 2011.

iii) The Cantonment Electoral Rules, 2007.

iv) The Grant of Leave to Members of Cantonment Board Rules, 2011.

v) The Transfer of Property in Cantonments (Form of Notice & Manner of giving such notice) Rules, 2016 – Finally notified on 30.12.2016 and laid before both Houses of the Parliament (Lok Sabha – 10.03.2017 & Rajya Sabha – 21.03.2017).

vi) The Cantonment (Execution of Warrants for the attachment and sale of immovable property) Rules, 2016 – Finally notified on 30.12.2016 and laid before both Houses of the Parliament (Lok Sabha – 10.03.2017 & Rajya Sabha – 21.03.2017).

vii) The Cantonment (Forms and Manner of Service of Notice) Rules, 2016 – Finally notified on 24.01.2017 and laid before both Houses of the Parliament (Lok Sabha – 10.03.2017 & Rajya Sabha – 21.03.2017).

viii) The Cantonment (Form of Annual Report on Cantonment Administration) Rules, 2017 – Finally notified on 03.05.2017 and laid before both Houses of the Parliament (Lok Sabha – 27.12.2017 & Rajya Sabha – 02.01.2018).

ix) The Cantonment (Regulation of Procedure of Committees of Arbitration) Rules, 2017 – Finally notified on 18.05.2017 laid before both Houses of the Parliament (Lok Sabha – 27.12.2017 & Rajya Sabha – 02.01.2018).

x) The Cantonment Property Rules, 2017 – Finally notified on 01.12.2017 and laid before both Houses of the Parliament (Lok Sabha – 27.12.2017 & Rajya Sabha – 02.01.2018).

xi) The Cantonment Board Account Code, 2020 – Finally notified on 03.03.2020 and laid before both Houses of the Parliament (Lok Sabha – 24.03.2021 & Rajya Sabha – 25.03.2021).

B) Rules under consideration in the Ministry:

Sl	Title of the proposed Rule	Present status/Reasons of Delay:
(i)	Cantonment Fund Servant Rules, 2020 in lieu of Cantonment Fund Servant Rules, 1937.	Draft Cantonment Fund Servant Rules, 2020 have been notified in the Official Gazette on 21.12.2020 for inviting objections / suggestions from the public. Subsequently, after consideration of objections / suggestions received from the public, approval of Hon'ble RM has been obtained and final draft Cantonment Fund Servant Rules, 2020 have been referred to MoL&J for vetting.
(ii)	Cantonment Land Administration Rules (CLAR), 2021 in lieu of Cantonment Land Administration Rules (CLAR), 1937	With the approval of Hon'ble RM, draft Cantonment Land Administration Rules, 2021 were notified in the Official Gazette on 23.06.2021 for inviting objections / suggestions from the public.

Annexure- C
अनुबंध - 'ख'

Parliament Matter
Time Bound

Ministry of Defence
D(Q&C)
***

Subject: Framing of rules under Cantonments Act, 2006-reg.

Please refer to Lok Sabha Secretariat letter No. 24(1)/COSL/2021 dated 09.12.2021on the subject mentioned above.

2. In this regard, it is submitted that total 13 Rules to be framed under the Cantonments Act, 2006, have been notified. A copy of the status of the Rules is enclosed herewith.

Encl: As above.

(Rajesh Kumar Sah)
Dy. Director (Q&C)

Shri T.S. Rangarajan, Director, Lok Sabha Secretariat

MoD No. 14(1)/2007-D(Q&C) dated 17.12.2021

Copy to:

D(Parl)- With respect to MoD ID No. H-11011/2/2021/D(Parl) dated 16.12.2021

17/12/21
श्री सतर्क

Confirmed from Q&C Section. The above information has the approval of Joint secretary (Lands)

Arvind Kumar
28/2/2022
Arvind Kumar
US (Parl/Welfare)

STATUS OF FRAMING OF RULES/REGULATIONS ETC. UNDER VARIOUS ACTS

Name of the Ministry/Department - Ministry of Defence/Directorate General Defence Estates

Sl. No.	...f the Act	Act No./ Date of Enactment	Sections of the Act under which rules and regulations are required to be framed	Sections of the Act under which rules and regulations have been made.	Number and Date of Gazette notification in which the rules, regulations published	Date of laying of rules and regulations in Lok Sabha/Rajya Sabha	Sections of Act under which rules and regulations have not been framed till date	In case of non framing of rules and regulations (col.8), details of Extension of time sought from the Comiittee on Subordinate Legislation, Lok Sabha	If extension not sought in respect of col. 8, reasons there for in brief
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No 2 of 1924)	Section 48	Section 48 (Section 44 of the repealed Cantonments Act, 1924)	Gazette Notification of these regulations was not required as per the provisions of Section 44 of the Cantonments Act, 1924.	Not Available Applicable	NIL	NA	NA
2			Section 346	Section 346	1. Cantonments (Payments of Allowances to Vice-President and Elected Members) Rules, 2011 published vide S.R.O. 6(E) dated 01.08.2011	Lok Sabha - NA Rajya Sabha - NA	NIL	NA	NA
3			Section 19(3)	Section 19(3)	2. The Election of Vice-President of the Cantonment Board (Procedure) Rules, 2011 published vide S.R.O 10(E) Dated 04.11.2011	Lok Sabha - NA Rajya Sabha - NA	NIL	NA	NA
4			Section 31	Section 31	3. The Cantonment Electoral Rules, 2007 published vide S.R.O. 5(E) dated 21.08.2007	Lok Sabha - NA Rajya Sabha - NA	NIL	NA	NA
5			Section 346 (2)(k)	Section 346 (2)(k)	4. The Grant of Leave to Members of Cantonment Board Rules, 2011 published vide S.R.O. 12(E) Dated 26.11.2011	Lok Sabha - NA Rajya Sabha - NA	NIL	NA	NA
6			Section 346 (2)(m)	Section 346 (2)(m)	5. The Transfer of Property in Cantonments (Form of notice and manner of giving such notice) Rules, 2016 published vide S.R.O 15(E) dated 30.12.2016	Lok Sabha - 10.03.2017 Rajya Sabha - 21.03.2017	NIL	NA	NA
7			Section 105 (6)	Section 105 (6)	6. The Cantonments (Execution of Warrants for the Attachment and Sale of Immovable Property) Rules, 2016 published vide S.R.O 14(E) dated 30.12.2016	Lok Sabha - 10.03.2017 Rajya Sabha - 21.03.2017	NIL	NA	NA
8			Section 346 (2)(l)	Section 346 (2)(l)	7. The Cantonments (Forms and Manner of Service of Notices) Rules, 2017 published vide S.R.O 2(E) dated 24.01.2017	Lok Sabha - 10.03.2017 Rajya Sabha - 21.03.2017	NIL	NA	NA
9			Section 346	Section 346	8. The Cantonmens (Form of Annual Inspection Report) Rules, 2017 published vide S.R.O. 6(E) dated 03.05.2017	Lok Sabha - 27.12.2017 Rajya Sabha - 02.01.2018	NIL	NA	NA
10			Section 346 (2)(i)	Section 346 (2)(i)	9. The Cantonments (Regulation of the Procedure of Committee of Arbitration) Rules, 2017 published vide S.R.O 15(E) dated 18.05.2017	Lok Sabha - 27.12.2017 Rajya Sabha - 02.01.2018	NIL	NA	NA
11			Section 125	Section 125	10. The Cantonment Property Rules, 2017 published vide S.R.O. 31(E) dated 01.12.2017	Lok Sabha - 27.12.2017 Rajya Sabha - 02.01.2018	NIL	NA	NA
12			Section 346 (2)(f) read with Section 125	Section 346 (2)(f) read with Section 125	11. The Cantonment Board Account Rules, 2020 published vide S.R.O. 2(E) dated 03.03.2020	Lok Sabha - 24.03.2021? Rajya Sabha - [illegible]	NIL	NA	NA
13			Section 346 (2)(d) & (e)	Section 346 (2)(d) (Section 280 (c),(cc) and (d) of repealed Cantonments Act, 1924	Cantonment Board Employees Service Rules, 2021, Published vide S.R.O. 18(E) dated [illegible]	Lok Sabha 10.12.2021 Rajya Sabha 13.12.2021	NIL	NA	NA
14.			Section 24(2)	Section 346(2)	The Cantonment Fund Administration [illegible]	[illegible]			

-36-

17/12/21

Annexure-D
अनुबंध - 'घ'

F. No. 11011/02/2021/D(Parl)
रक्षा मंत्रालय/ Ministry of Defence
भारत सरकार/Government of India

Room No. 18, South Block,
New Delhi, dated the 03rd March, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Status of framing of Rules/Regulations etc. (Subordinate Legislations) under various Acts being administered by the Ministries/Departments-regarding.

The undersigned is directed to refer to Committee on Subordinate Legislation Branch, Lok Sabha Sectt.'s O.M. No. 24(1)/COSL/2021 dated 9th December, 2021 on the captioned subject and to forward herewith the requisite information in respect of Department of Defence, duly filled in the prescribed proforma, for necessary action at their end.

3/3/2022

Encl.: As above

(अरविंद कुमार / **Arvind Kumar**)
अवर सचिव (संसद)/Under Secretary(Parl)
फोन / Phone: 011-23012907
ई मेल/ E-mail: usparl_def@nic.in

To

Committee on Subordinate Legislation Branch,
[Kind attn. : Sh. T.S. Rangarajan, Director]
Parliament House, Lok Sabha Sectt.,
New Delhi-110001.

Issued
2/3/22.

Status of Framing of Rules/Regulation ETC. UNDER VARIOUS ACTS

Name of the Ministry Department- Ministry of Defence/Directorate General Defence Estate

*Sl No.	Name of the Act	Act No./Date of Enactment	Sections of the Act under which rules and regulation are required to be framed	Sections of the Act under which rules and regulations have been made	Number and Date of Gazette notification in which the rules, regulations published	Date of laying of rules and regulation in Lok Sabha/Rajya Sabha	Sections of Act under Which rules and Regulations have not been framed till date	In case of non-framing of rules and regulations (col.8), details of Extension of time sought from the Committee on Subordinate Legislation, Lok Sabha	If extension not sought in respect of col.8, reason here for in brief
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 346	Section 346	1. Cantonments (Payments of Allowances to Vice-President and Elected Members) Rules, 2011 published vide S.R.O. 6(E) dated 01.08.2011	Lok Sabha-NA Rajya Sabha-NA	NIL	NA	NA
2	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 19(3)	Section 19(3)	2. The Election of Vice-President of the Cantonment Board (Procedure) Rules, 2011 published vide S.R.O 10(E) Dated 04.11.2011	Lok Sabha-NA Rajya Sabha-NA	NIL	NA	NA
3	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 31	Section 31	3. The Cantonment Electoral Rules, 2007 published vide S.R.O. 5(E) dated 21.08.2007	Lok Sabha-NA Rajya Sabha-NA	NIL	NA	NA
4	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 346(2)(k)	Section 346(2)(k)	4. The Grant of Leave to Members of Cantonment Board Rules, 2011 published vide S.R.O. 12(E) Dated 26.11 2011	Lok Sabha-NA Rajya Sabha-NA	NIL	NA	NA
5	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 346(2)(m)	Section 346(2)(m)	5. The Transfer of Property in Cantonments (Form of notice and manner of giving such notice) Rules, 2016 published vide S.R.O. 15(E) dated 30.12.2016	Lok Sabha-10.03.2017 Rajya Sabha-21.03.2017	NIL	NA	NA
6	The	41 of 2006/	Section 105 (6)	Section 105(6)	6. The Cantonments (Execution of Warrants for	Lok Sabha-	NIL	NA	NA

	Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)			the Attachment and Sale of Immovable Property) Rules, 2016 published vide S.R.O. 14(E) dated 30.12.2016	10.03.2017 Rajya Sabha- 21.03.2017			
7	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 346(2)(l)	Section 346 (2)(l)	7. The Cantonments (Forms and Manner of Service of Notices) Rules, 2017 published vide S.R.O. 2(E) dated 24.01.2017	Lok Sabha- 10.03.2017 Rajya Sabha- 21.03.2017	NIL	NA	NA
8	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 346	Section 346	8. The Cantonments (Form of Annual Inspection Report) Rules, 2017 published vide S.R.O. 6(E) dated 03.05.2017	Lok Sabha- 27.12.2017 Rajya Sabha- 02.01.2018	NIL	NA	NA
9	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 346(2)(i)	Section 346(2)(i)	9. The Cantonments (Regulation of the Procedure of Committee of Arbitration) Rules, 2017 published vide S.R.O 15(E) dated 18.05.2017	Lok Sabha- 27.12.2017 Rajya Sabha- 02.01.2018	NIL	NA	NA
10	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 125	Section 125	10. The Cantonment Property Rules, 2017 published vide S.R.O. 31(E) dated 01.12.2017	Lok Sabha- 27.12.2017 Rajya Sabha- 02.01.2018	NIL	NA	NA
11	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 346(2)(f) read with Section 125	Section 346(2)(f) read with section 125	11. The Cantonment Board Account Rules. 2020 published vide S.R.O. 2(E) dated 03.03.2020	Lok Sabha- 24.03.2021 Rajya Sabha- 28.03.2021	NIL	NA	NA
12	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 346 (2)(d) & (e)	Section 346(2)(d) (Section 280(c), (cc) and (d) of repealed Cantonments Act, 1924	Cantonment Board Employees Service Rules, 2021 Published vide S.R.O. 16(E) dated 13.10.2021	Lok Sabha- 10.12.2021 Rajya Sabha- 13.12.2021	NIL	NA	NA
13	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 346(2) a&b	Section 346(2) a&b Section 280 (a)(b) of Repealed Act, 1924	The Cantonment Land Administration Rules, 2021, Published vide S.R.O. 24(E) dated 01.12.2021	Lok Sabha- 17.12.2021 Rajya Sabha- 20.12.2021	NIL	NA	NA

XXXXX

Annexure-E

अनुबंध-'इ'

F. No. 11011/02/2021/D(Parl)

रक्षा मंत्रालय/ Ministry of Defence

भारत सरकार/Government of India

Room No. 18, South Block,
New Delhi, dated the 03rd March, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Status of framing of Rules/Regulations etc. (Subordinate Legislations) under various Acts being administered by the Ministries/Departments-regarding.

The undersigned is directed to refer to Committee on Subordinate Legislation Branch, Lok Sabha Sectt.'s O.M. No. 24(1)/COSL/2021 dated 9th December, 2021 on the captioned subject and to forward herewith the requisite information in respect of Department of Defence, duly filled in the prescribed proforma, for necessary action at their end.

2/3/2022

Encl.: As above

(अरविंद कुमार / Arvind Kumar)
अवर सचिव (संसद)/Under Secretary(Parl)
फोन / Phone: 011-23012907
ई मेल/ E-mail: usparl_def@nic.in

O/C

To

Committee on Subordinate Legislation Branch,
[Kind attn. : Sh. T.S. Rangarajan, Director]
Parliament House, Lok Sabha Sectt.,
New Delhi-110001.

Muraleedharan. P
Director, Room No. 117, FF.
PHA

2.3.2022

Annexure - F

अनुलग्नक - 'एफ'

14(1)/2007-D(Q&C)
Government of India
Ministry of Defence

Sena Bhawan, New Delhi
04th July, 2022.

OFFICE MEMORANDUM

***

Sub: Framing of Rules & Regulation under Acts passed by the Parliament-reg.

Reference is invited to Ministry of Parliamentary Affairs OM No. 2(3)/2016-ME dated 20.06.2022 and MoD OM of even No. dated 20.02.2022 forwarding therewith updated status of rules under the Cantonments Act, 2006.

2. As desired, the updated status on the framing of the rules under the Cantonments Act, 2006 is again enclosed herewith for information and further necessary action.

(Rajesh Kumar Sah)
Dy. Director(Q&C)
Tel: 23016258

Shri Manish Gupta, Under Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs
MoD ID No. 14(1)/2007-D(Q&C) dated 04.07.2022

Copy for information to:

(i) Shri Rakesh Anand, Director, Rajya Sabha Secretariat- w.r.t OM No. LAPEAS-SL24/252022-CoSL-RSS dated 01.06.2022-With a request to update the list (Sl. No.11).

(ii) Shri Arvind Kumar, Under Secretary, D(Parl)- With respect to MoD ID No. H-11011/02/D(Parl) dated 21.06.2022

Status of Framing of Rules/Regulation ETC. UNDER VARIOUS ACTS

Name of the Ministry Department- Ministry of Defence/Directorate General Defence Estate

Sl No.	Name of the Act	Act No./Date of Enactment	Sections of the Act under which rules and regulation are required to be framed	Sections of the Act under which rules and regulations have been made	Number and Date of Gazette notification in which the rules, regulations published	Date of laying of rules and regulation in Lok Sabha/Rajya Sabha	Sections of Act under Which rules and Regulations have not been framed till date	In case of non-framing of rules and regulations (col.8), details of Extension of time sought from the Committee on Subordinate Legislation Lok Sabha
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 346	Section 346	1. Cantonments (Payments of Allowances to Vice-President and Elected Members) Rules, 2011 published vide S.R.O. 6(E) dated 01.08.2011	Lok Sabha-NA Rajya Sabha-NA	NIL	NA
2	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 19(3)	Section 19(3)	2. The Election of Vice-President of the Cantonment Board (Procedure) Rules, 2011 published vide S.R.O 10(E) Dated 04.11.2011	Lok Sabha-NA Rajya Sabha-NA	NIL	NA
3	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 31	Section 31	3. The Cantonment Electoral Rules, 2007 published vide S.R.O. 5(E) dated 21.08.2007	Lok Sabha-NA Rajya Sabha-NA	NIL	NA
4	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 346(2)(k)	Section 346(2)(k)	4. The Grant of Leave to Members of Cantonment Board Rules, 2011 published vide S.R.O. 12(E) Dated 26.11 2011	Lok Sabha-NA Rajya Sabha-NA	NIL	NA
5	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 346(2)(m)	Section 346(2)(m)	5. The Transfer of Property in Cantonments (Form of notice and manner of giving such notice) Rules, 2016 published vide S.R.O. 15(E) dated 30.12.2016	Lok Sabha-10.03.2017 Rajya Sabha-21.03.2017	NIL	NA

6	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 105 (6)	Section 105(6)	6. The Cantonments (Execution of Warrants for the Attachment and Sale of Immovable Property) Rules, 2016 published vide S.R.O. 14(E) dated 30.12.2016	Lok Sabha-10.03.2017 Rajya Sabha-21.03.2017	NIL	NA
7	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 346(2)(l)	Section 346 (2)(l)	7. The Cantonments (Forms and Manner of Service of Notices) Rules, 2017 published vide S.R.O. 2(E) dated 24.01.2017	Lok Sabha-10.03.2017 Rajya Sabha-21.03.2017	NIL	NA
8	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 346	Section 346	8. The Cantonments (Form of Annual Inspection Report) Rules, 2017 published vide S.R.O. 6(E) dated 03.05.2017	Lok Sabha-27.12.2017 Rajya Sabha-02.01.2018	NIL	NA
9	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 346(2)(i)	Section 346 (2)(i)	9. The Cantonments (Regulation of the Procedure of Committee of Arbitration) Rules, 2017 published vide S.R.O 15(E) dated 18.05.2017	Lok Sabha-27.12.2017 Rajya Sabha-02.01.2018	NIL	NA
10	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 125	Section 125	10. The Cantonment Property Rules, 2017 published vide S.R.O. 31(E) dated 01.12.2017	Lok Sabha-27.12.2017 Rajya Sabha-02.01.2018	NIL	NA
11	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 346(2)(f) read with Section 125	Section 346(2)(f) read with section 125	11. The Cantonment Board Account Rules. 2020 published vide S.R.O. 2(E) dated 03.03.2020	Lok Sabha-24.03.2021 Rajya Sabha-28.03.2021	NIL	NA
12	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 346 (2)(d) & (e)	Section 346(2)(d) (Section 280(c), (cc) and (d) of repealed Cantonments Act, 1924	Cantonment Board Employees Service Rules, 2021 Published vide S.R.O. 16(E) dated 13.10.2021	Lok Sabha-10.12.2021 Rajya Sabha-13.12.2021	NIL	NA
13	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments	41 of 2006/ 13-09-2006 (Act No. 2 of 1924)	Section 346(2) a&b	Section 346(2) a&b Section 280 (a)(b) of Repealed Act, 1924	The Cantonment Land Administration Rules, 2021, Published vide S.R.O. 24(E) dated 01.12.2021	Lok Sabha-17.12.2021 Rajya Sabha-20.12.2021	NIL	NA

Annexure - G-26
अनुलग्नक-'6A'

Email

ARVIND KUMAR

Framing of Rules and Regulations underthe Acts passed by the Parliament and their updation on e-Samiksha portal - regarding.

From : ARVIND KUMAR <usparl_def@nic.in>

Tue, Jul 12, 2022 03:35 PM

Subject : Framing of Rules and Regulations underthe Acts passed by the Parliament and their updation on e-Samiksha portal - regarding.

1 attachment

To : Shantanu Bhattacharjee <bhattacharjee.sha@gov.in>, Anil Kumar Choubey <ak.choubey82@gov.in>

Sir,

Please find attached MoD OM No. H-11011/02/2021/D(Parl) dated 12th July, 2022 on the captioned subject for information and necessary action.

Kind regards
Under Secretary (Parl)
D(Parliament)
Room No. 18, South Block
Ministry of Defence
New Delhi-110011

Tel. 23012560

OM-Framing Rules & Regulations-12.07.22.pdf
1,002 KB

-44-

(325)

No. H-11011/02/2021/D(Parl)
Bharat Sarkar / Government of India
Raksha Mantralaya / Ministry of Defence

Room No. 225-E, South Block,
New Delhi, dated, the 12th July, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Framing of rules and regulations under the Acts passed by the Parliament and their updation on e-Samiksha portal.

Kindly refer to Cabinet Sectt.'s Note No. Secy.(C)/JS(RK)/Dir(VM)/SO to CS dated 8th July, 2022 on the captioned subject and find enclosed the requisite information in the prescribed proforma in respect of Ministry of Defence for information and necessary action. The same has also been emailed at bhattacharjee.sha@gov.in.

(Sanjai Bajpai)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tele: 2301 0646

Encl: As above.

Shri Virendra Mittal,
Director
Cabinet Secretariat,
Rashtrapati Bhawvan,
New Delhi

- 45 -

Status of framing of Rules and Regulations under the Acts passed by the Parliament in respect of Ministry of Defence

Sl. No.	Act(s) under which framing of SL is required	Section(s) under which framing of SL is required	Date of Notification	Likely date of Notification, if not notified so far	Remarks, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	The Cantonments Act, 2006 (repealed Cantonments Act, 1924)	Section 346	Cantonments (Payments of Allowances to Vice-president and Elected Members) Rules, 2011 published vide S.R.O. 6(E) dated 01.08.2011	NA	
		Section 19(3)	The Election of Vice-Present of the Cantonment Board (Procedure) Rules, 2011 published vide S.R.O. 10(E) dated 04.11.2011	NA	
		Section 31	The Cantonment Electoral Rules, 2007 published vide S.R.O. 5(E) dated 21.08.2007	NA	
		Section 346(2)(k)	The Grant of Leave to Members of Cantonments Board Rules, 2011 published vide S.R.O. 12(E) dated 26.11.2011	NA	
		Section 346(2)(m)	The Transfer of Property in Cantonments (Form of notice and manner of giving such notice) Rules, 2016 published vide S.R.O. 15(E) dated 30.12.2016	NA	
		Section 105(6)	The Cantonments (Execution of Warrants for the Attachment and Sale of Immovable Property) Rules, 2016 published vide S.R.O. 14(E) dated 30.12.2016	NA	
		Section 346(2)(I)	The Cantonments (Forms and Manner of Service of Notices) Rules, 2017 published vide S.R.O. 2(E) dated 24.01.2017	NA	
		Section 346	The Cantonments (Form of Annual Inspection Report) Rules, 2017 published vide S.R.O. 6(E) dated 03.05.2017	NA	
		Section 346(2)(i)	The Cantonments (Regulation of the Procedure of Committee of Arbitratio) Rules, 2017 published vide S.R.O. 15(E) dated 18.05.2017	NA	
		Section 125	The Cantonment Property Rules, 2017 published vide S.R.O. 31(E) dated 01.12.2017	NA	

		Section 346(2)(f) read with Section 125	The Cantonment Board Account Rules, 2020 published vide S.R.O. 2(E) dated 03.03.2020	NA	
		Section 346(2)(d) & (e)	Cantonment Board Employees Service Rules, 2021 published vide S.R.O. 16(E) dated 13.10.2021	NA	
		Section 346(2) a&b of Repealed Act, 1924	The Cantonment Land Administration Rules, 2021 published vide S.R.O. 24(E) dated 01.12.2021	NA	
2.	**The Essential Defence Services Act., 2021:**	Under the provisions of the Act., only Orders / Notifications are required to be issued while invoking the relevant provisions of the Act. Framing of Rules and Bye-Laws are not contemplated under the Act.			

*****

-47-

Annexure H
अनुबंध - 'ज'

Ministry of Defence
D(Q&C)
***

Sub: Framing of Rules & Regulations under Acts passed by the Parliament.

Reference MoD ID No. H-11011/02/2021/D(Parl) dated 16.09.2022 on the subject mentioned above.

2. The current status of framing of rules, regulations and statutes under the Cantonments Act, 2006 is enclosed herewith for information and further transmission to Cabinet Secretariat and Rajya Sabha Secretariat. Accordingly, it is requested that the matter may be treated as complete.

(Rajesh Kumar Sah)
Deputy Director (Q&C)

D(Parl)

MOD ID No. 14(1)/2007-D(Q&C) dated 21.09.2022

Copy for information to:

1) Shri Virendra Mittal, Director, Cabinet Secretariat – w.r.t OM No. 403/2/1/2018-TS(Vol-V) dated 12.09.2022.
2) Shri Rajesh Kumar Sharma, Under Secretary, Rajya Sabha Secretariat w.r.t OM No. RS. 21/7/2007-COSL dated 08.07.2022 – with a request to treat the matter as complete and accordingly update the same.
3) Secretary, Legislative Department, Ministry of Law & Justice

877/D(Parl)
21-9-22

21.9.22

PROFORMA

SUBORDINATE LEGISLATIONS (SLs) YET TO BE FRAMED UNDER THE ACTS PASSED BY THE PARLIAMENT

Ministry of Defence

Sl. No.	Act(s) under which framing of Rules/Regulations/Statutes (SL) is/are pending / under process		Section / Sub-Section regarding framing of Rules / Regulations / Statutes	Date of Notification	If yet to be notified, likely date of Notification	Date of laying of SL in Parliament		Date of submission of Completion Certificate to CoSL, Rajya Sabha	Remarks
						Lok Sabha	Rajya Sabha		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
		Rules : Number and Date of Gazette notification in which the rules are published							
1	The Cantonment Act, 2006	1. Cantonments (Payments of Allowances to Vice-President and Elected Members) Rules, 2011 published vide S.R.O. 6(E) dated 01.08.2011	Section 346	01.08.2011	NA	12.12.2011	14.12.2011		
		2. The Election of Vice-President of the Cantonment Board (Procedure) Rules, 2011 published vide S.R.O 10(E) Dated 04.11.2011	Section 19(3)	04.11.2011	NA	12.12.2011	07.12.2011		
		3. The Cantonment Electoral Rules, 2007 published vide S.R.O. 5(E) dated 21.08.2007	Section 31	21.08.2007	NA	03.12.2007	05.12.2007		
		4. The Grant of Leave to Members of Cantonment Board Rules, 2011 published vide S.R.O. 12(E) Dated 26.11 2011	Section 346(2)(k)	26.11.2011	NA	19.03.2012	21.03.2012		
		5. The Transfer of Property in Cantonments (Form of notice and manner of giving such notice) Rules, 2016 published vide S.R.O. 15(E) dated 30.12.2016	Section 346(2)(m)	30.12.2016	NA	10.03.2017	21.03.2017		
		6. The Cantonments (Execution of Warrants for the Attachment and Sale of Immovable Property) Rules, 2016 published vide S.R.O. 14(E) dated 30.12.2016	Section 105 (6)	30.12.2016	NA	10.03.2017	21.03.2017		

7. The Cantonments (Forms and Manner of Service of Notices) Rules, 2017 published vide S.R.O. 2(E) dated 24.01.2017	Section 346(2)(l)	24.01.2017	NA	10.03.2017	21.03.2017		
8. The Cantonments (Form of Annual Inspection Report) Rules, 2017 published vide S.R.O. 6(E) dated 03.05.2017	Section 346	03.05.2017	NA	27.12.2017	02.01.2018		
9. The Cantonments (Regulation of the Procedure of Committee of Arbitration) Rules, 2017 published vide S.R.O 15(E) dated 18.05.2017	Section 346(2)(i)	18.05.2017	NA	27.12.2017	02.01.2018		
10. The Cantonment Property Rules, 2017 published vide S.R.O. 31(E) dated 01.12.2017	Section 125	01.12.2017	NA	27.12.2017	02.01.2018		
11. The Cantonment Board Account Rules, 2020 published vide S.R.O. 2(E) dated 03.03.2020	Section 346(2)(f) read with Section 125	03.03.2020	NA	24.03.2021	28.03.2021		
12. Cantonment Board Employees Service Rules, 2021 Published vide S.R.O. 16(E) dated 13.10.2021	Section 346 (2)(d) & (e)	13.10.2021	NA	10.12.2021	13.12.2021		
13. The Cantonment Land Administration Rules, 2021, Published vide S.R.O. 24(E) dated 01.12.2021	Section 346(2) a&b	01.12.2021	NA	17.12.2021	20.12.2021		
Regulations*	It is informed that only Business Regulations are required to be framed under the Cantonments Act, 2006. It is further informed that the Business Regulations framed by the Cantonment Boards prior to coming into force of the Cantonments Act, 2006 continue to be in force and are deemed to have been made under the provisions of the Act *ibid* as per the Section 360(2) of the said Act.						
Statutes	(i)						
	(ii)						
	(iii)						

Annexure-I

अनुलंग्नक - आई

Copy No. 3

No. 403/2/1/2018-TS(Vol-IV)
GOVERNMENT OF INDIA/ BHARAT SARKAR
CABINET SECRETARIAT / MANTRIMANDAL SACHIVALAYA
RASHTRAPATI BHAWAN
*****

New Delhi, Dated 15th July, 2022

Subject: Framing of Rules and regulations under the Acts passed by the Parliament and their Updation on e-Samiksha portal- reg.

Kindly find enclosed a copy of minutes of the meeting of the Group of Officers (GoO) held at 11:00 AM on 13th July, 2022 under the Chairmanship of Secretary (Coordination) in the Conference Room, Lower Ground Floor, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi, on the subject mentioned above.

2. It is requested that an action taken report may be sent to this Secretariat in pursuance of the recommendations of the aforesaid meeting.

(Tanmoy Roy)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele : 2301 3363

Encl: Doc. No.CD(TS)- 47/2022 (05-pages)

Shri Ajay Kumar Bhalla, Home Secretary, M/o Home Affairs
Shri Vinay Kwatra, Foreign Secretary, M/o External Affairs
Dr. Ajay Kumar, Defence Secretary, M/o Defence
Shri Rajesh Bhushan, Secretary, D/o Health & Family Welfare
Ms. S. Radha Chauhan, Secretary, D/o Personnel and Training
Shri Pankaj Jain, Secretary, M/o Petroleum & Natural Gas
Shri Bidyut B. Swain, Secretary, M/o Micro, Small and Medium Enterprises
Shri K. Sanjay Murthi, Secretary, D/o Higher Education
Shri Rajiv Bansal, Secretary, M/o Civil Aviation
Shri Apurva Chandra, Secretary, M/o Information and Broadcasting
Dr. Reeta Vasishta, Secretary, Legislative Department
Shri Niten Chandra, Secretary, D/o Legal Affairs
Shri Rajesh Verma, Secretary, M/o Corporate Affairs
Shri Sudhanshu, Pandey, Secretary, D/o Food & Public Distribution
Shri Rohit K. Singh, Secretary, D/o Consumer Affairs
Ms. Renuka Kumar, Secretary, M/o Minority Affairs
Shri Manoj Joshi, Secretary, M/o Housing and Urban Affairs
Shri Tarun Bajaj, Secretary, D/o Revenue
Shri Ajay Seth, Secretary, D/o Economic Affairs
Shri R. Subrahmanyam, Secretary, D/o Social Justice and Empowerment
Ms. Sujata Chaturvedi, Secretary, D/o Sports
Shri Girdhar Aramane, Secretary, M/o Road Transport and Highways
Shri Anurag Jain, Secretary, D/f Promotion of Industry and internal Trade
Vaidya Rajesh Kotecha, Secretary, M/o Ayush

(Tanmoy Roy)
Under Secretary to the Govt. of India

INTERNAL CIRCULATION: (Only one copy):
Secy(C)/JS(RK)/Dir(VM)/SO to CS

27-copies

(345)

CABINET SECRETARIAT

CD (TS) No. – 47 /2022

Copy No._____

MINUTES OF THE MEETING OF GROUP OF OFFICERS

Venue : Conference Room, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.

Date : 13.07.2022 Time of Meeting: 11:00 A.M.

PRESENT

Shri Pradip Kumar Tripathi, Secretary (Coordination), Cabinet Secretariat
Shri Pramod Kumar Pathak, Special Secretary, M/o AYUSH
Ms. Rashmi Chowdhary, Additional Secretary, D/o Personnel & Training
Shri Rohit Kumar, Joint Secretary, Cabinet Secretariat
Ms. Saheli Ghosh Roy, Joint Secretary, M/o Home Affairs
Dr. Harmeet Singh, Joint Secretary, D/o Health & Family Welfare
Ms. Veena Kothavale, Joint Secretary, Legislative Department
Shri Mrutyunjay Behra, Economic Advisor, D/o Higher Education
Shri Virendra Mittal, Director, Cabinet Secretariat
Dr. Sanjay Rai, Director, D/o Health & Family Welfare
Shri Amit Bhole, Deputy Secretary, D/o Revenue

Ministries/Departments (Through Video Conference)

Shri Surendra Singh, Additional Secretary, D/o Social Justice & Empowerment
Shri Satyendra Kumar Mishra, Joint Secretary, M/o Civil Aviation
Ms. Mamta Shankar, Sr. Economic Advisor, D/o Food and Public Distribution
Shri R.K.Jena, Sr. Economic Advisor, M/o Information & Broadcasting
Shri Inder deep Singh Dhariwal, Joint Secretary, M/o Corporate Affairs
Shri Srinivas Danda, Joint Secretary, M/o Minority Affairs
Shri Pankaj Kumar Singh, Joint Secretary, M/o Housing and Urban Affairs
Shri L.S. Singh, Joint Secretary, D/o Sports
Shri Vineet Mathur, Joint Secretary, D/o Consumer Affairs
Ms. Ishita Tripathy Ganguly, Additional Development Commissioner, MSME
Shri Anil Kumar Rai, Joint Secretary, M/o External Affairs
Smt. Sunita Anand, Joint Secretary, D/o Legal Affairs
Shri D.K.Ojha, Joint Secretary, M/o Petroleum & Natural Gas
Shri D.K. Rai, Joint Secretary, M/o Defence
Ms. Ritu Jain, Advisor, D/o Economic Affairs
Dr. Piyush Jain, Director, M/o Road Transport & Highways
Shri Arun Kumar Yadav, Director, D/o Sports
Shri Karan Thapar, Deputy Secretary, D/f Promotion of Industry & Internal Trade

*****

Subject- Framing of Rules and regulations under the Acts passed by the Parliament and their Updation on e-Samiksha portal - reg.

F.No. 403/2/1/2018-TS (Vol-IV)

A meeting to review the status of Subordinate Legislation (SL) which are required to be framed under the Act(s) passed by the Parliament was held at 11:00 AM on 13th July, 2022 in Conference Room under the chairmanship of Secretary (Coordination) at Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi.

2. Joint Secretary, Cabinet Secretariat informed that as per the latest report received from Committee on Subordinate Legislation (CoSL), SLs are pending in respect of 49 Acts pertaining to 24 Ministries/ Departments. It was further informed that a module on

– 52 –

'Subordinate Legislation' on e-Samiksha portal has been developed for monitoring the status of framing of Subordinate Legislation by Ministries/ Departments.

3. Thereafter, Ministry/ Department wise status of framing of Subordinate Legislation was reviewed:-

(a) Ministry of External Affairs - Subordinate Legislation have been notified under the Nalanda University Act, 2010 and the completion certificate will be submitted to Committee on Subordinate Legislation (CoSL).

(b) Department of Legal Affairs - All Rules have been notified under The New Delhi International Arbitration Centre, Act, 2009. Regulations will be framed once the Centre becomes functional. Regarding, The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019, Rules have been notified and Regulations will be made by Arbitration Council of India (ACI) after it becomes functional.

(c) D/o Sports - Action has been completed in respect of framing of subordinate legislation under The National Sports University Act, 2018 and completion certificate will be submitted to CoSL.

(d) Ministry of Home Affairs - Joint Secretary, MHA informed the status of the four Acts as following:-

(i) The Citizenship (Amendment) Act, 2019 – It was informed that extension of time from CoSL has been taken till 09.07.2022. Further, request for extension of time till 09.01.2023 has been made.

(ii) The National Forensic Science University Act, 2020 – Rules have been framed and CoSL has been informed.

(iii) The Rashtriya Raksha University Act, 2009 – Rules have been framed and laid down in the Parliament. Time has been sought for framing Statutes.

(iv) The Assam Rifles Act, 2006 – Rules have been framed. The Regulations under the Act have been considered as 'Non-Statutory' in nature with the concurrence of Ministry of Law & Justice and the position has been intimated to CoSL.

(e) M/o Road Transport and Highways - All Rules/ Regulations have been notified under various Sections of the Motor Vehicle (Amendment) Act, 2019. The Completion Certificate will be submitted to CoSL.

(f) D/o Economic Affairs - All Rules have been framed under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019. The Completion Certificate will be submitted to CoSL.

(g) D/o Revenue - Rules have been notified under The Finance Act of 2018, 2019 and 2021 and are likely to be laid in the forthcoming session of the Parliament. Regarding, The Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 and The Tribunals Reforms Act, 2021, the Rules have been framed and laid down before both the Houses of Parliament.

(h) M/o Minority Affairs - Central Government has notified the Rules under section 35 of the WAKF (Amendment) Act, 2013. However, only 14 States/ UTs have notified Rules under Section 57 of the said Act and extension of time has been sought from CoSL, Rajya Sabha till 31.10.2022.

(i) D/o Food and Public Distribution - Under Section 39 of the Act, only one Notification is pending on the part of M/o Women and Child Development pertaining to Pradhan

Mantri Matru Vandana Yojna. Three months extension has been sought from CoSL, Rajya Sabha for compliance. Regarding Section 40 which empowers the States/ UTs to frame Rules, Rules have been notified by 26 States/ UTs so far and extension of time has been sought till 30.09.2022 for the remaining States/ UTs.

(j) M/o Information & Broadcasting - Action has been completed regarding The Prasar Bharti (Broadcasting Corporation of India) Amendment Act, 2011 and Completion Certificate will be submitted to CoSL, Rajya Sabha.

(k) D/o Consumer Affairs - All Rules have been framed under The Consumer Protection Act, 2019 except under Section 101 which pertains to Recruitment Rules for Group A and Group B posts of National Consumer Disputes Redressal Commission and will be notified after creation of posts. Likely date of notification of the Pending Rules is 30.09.2022.

(l) Ministry of Civil Aviation - SLs have been notified under The Rajiv Gandhi National Aviation University Act, 2013. The Completion Certificate will be submitted to CoSL, Rajya Sabha.

(m) M/o Corporate Affairs - Rules have been framed under The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2021. Rules under The Companies Act, 2013 are pending only for the Sikkim State under The Registration of Companies (Sikkim) Act, 1961 for which consultations have been made with Government of Sikkim for early resolution.

(n) D/o Defence - Framing of Subordinate Legislations is not required under The Essential Defence Services Act, 2021. Regarding Cantonments Act, 2006, all Rules/ Regulations have been notified and Completion Certificate will be submitted to CoSL, Rajya Sabha.

(o) D/o Social Justice and Empowerment - Subordinate Legislations have been framed and laid down in the Parliament. Completion Certificate will be submitted to CoSL, Rajya Sabha.

(p) D/o Higher Education - Subordinate Legislations under various sections of the following Acts have been notified:-

(i) The Tripura University Act, 2006
(ii) The Sikkim University Act, 2006
(iii) The Central University Act, 2009
(iv) The Indira Gandhi National Tribal University Act, 2007

Framing of Subordinate Legislation in respect of Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, New Delhi, National Sanskrit University, Tirupati and Central Sanskrit University, New Delhi which are under the Central Sanskrit Univeristy Act, 2020 is in the process and extension of time upto 30.09.2022 has been sought from CoSL, Rajya Sabha to complete all action with regard to the framing and laying the same on the Table of both the Houses of Parliament.

Regarding, The Indian Institutes of Management Act, 2017, Regulations in respect of 16 IIMs have been notified and laid before both the Houses of Parliament. Regulation in respect of IIM Udaipur has been notified and will be laid in the forthcoming session. Framing of Regulations in respect of IIM Ahmedabad, Banglore and Calcutta is under process.

Regarding, The Central Universities (Amendment) Act, 2019, first statutes were passed by the Parliament for establishment of Central University of Andhra Pradesh and Central Tribal University of Andhra Pradesh under the Act. Process to frame statutes/ Regulations will be initiated once the statutory bodies, such as Academic

Council and Court come into existence.

(q) M/o Micro, Small & Medium Enterprises - All Rules have been notified under Section 29 of The Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 and two parts will be laid in the Parliament next week. Regarding Section 30 of the Act, Rules under the Act have been notified by all the States/ UTs except Ladakh.

(r) D/o Personnel & Training - All action has been completed in respect of The Central Vigilance Commission Act, 2003 for which Completion Certificate will be submitted to CoSL, Rajya Sabha. Extension of time has been sought upto 31.12.2022 from CoSL, Rajya Sabha for framing Subordinate Legislation under Section 9 and 19 of The Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018. Separate status note regarding The Lokpal and Lokayukts Act, 2013 will be furnished.

(s) Legislative Department - Under Section 6 of The Anand Marriage (Amendment) Act, 2012, only State/ UT Governments are empowered to frame Rules. Model Rules were circulated by Legislative Department to all States/ UTs. The matter has also been taken up with MHA in regard to UTs without legislature.

(t) M/o Ayush -

(i) The National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 – Rules have been notified under Section 54. CoSL, Rajya Sabha has granted time till 31.12.2022 to frame certain Regulations under Section 55 of the Act.

(ii) National Commission for Homeopathy Act, 2020 – Rules have been notified under Section 54 and extension for time to frame Subordinate Legislation under Section 55 has been granted by CoSL, Rajya Sabha till 31.12.2022.

(iii) The Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020 – Rules have been notified under Section 27 and extension of time has been sought from CoSL, Rajya Sabha till 30.09.2022 for framing Regulations under Section 28.

(u) M/o Health & Family Welfare -

(i) AIIMS Act, 1956 – All the Rules and Regulations have been notified and laid on the Table of both the Houses of Parliament.

(ii) AIIMS (Amendment) Act, 2012 – M/o H&FW is examining whether AIIMS Regulations made under AIIMS Act, 1956 can be made applicable mutatis mutandis, for the new AIIMS as per the provisions under Section 29, in consultation with Ministry of Law and Justice.

(iii) The HIV-AIDS (Prevention and Control) Act, 2017 – The Rules have been notified and laid before both the Houses of Parliament.

(iv) National Medical Commission Act, 2019 – Framing Rules and Regulations is in process under the Act.

(v) M/o Housing and Urban Affairs - Rules under RERA Act, 2016 have been framed under Section 84 by all the States/ UTs except Nagland. Recently, Government of Nagaland has agreed to frame Rules and therefore extension of three months has been sought from CoSL, Rajya Sabha. For Street Vendor (Protection of livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014, all the States/ UTs have framed Rules and Schemes under Section 36 of the Act except Lakshadweep and Ladakh. Matter has been taken up with MHA for early action in the matter.

(w) M/o Petroleum and Natural Gas - All action has been completed in respect of The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006.

(x) D/f Promotion of Industry and Internal Trade - Deputy Secretary, DPIIT informed that Rules have been framed for all the 4 new NIDs under The NIDC (Amendment) Act, 2019. Their statutes are pending for which extension of time has been sought from CoSL.

4. After detailed deliberations, following recommendations were made:-

(i) All Ministries/ Departments may update the details regarding framing of pending subordinate legislations under the Acts passed by Parliament as per the revised proforma and submit to this Secretariat by 15.07.2022 positively.

(ii) Legislative Department may compile a list of Acts passed by Parliament since 2019 Ministry/ Department wise.

(iii) Legislative Department may review and monitor the progress of framing subordinate legislations by Ministries/ Departments.

(iv) Ministries/ Departments may take up the issue of pending subordinate legislations in respect of Acts where UTs are required to frame SL with MHA.

(v) NIC e-Samiksha team may effect changes in the format for capturing details pertaining to subordinate legislations module for effective monitoring.

The meeting ended with vote of thanks to the participants.

*****

अनुबंध जे

प्रपत्र

संसद द्वारा पारित अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधान (एसएल) जिन्हें तैयार किया जाना शेष है
रक्षा मंत्रालय

क्र.सं.	**अधिनियम, जिसके (जिनके) अंतर्गत नियमों/विनियमों/ संविधियों (एसएल) को तैयार किया जाना लंबित है/ प्रगति पर है**	**नियमों/विनियमों/ संविधियों को तैयार करने से संबंधित धारा/उप-धारा**	**अधिसूचना की तारीख**	**यदि अभी अधिसूचित नहीं किया गया है तो, अधिसूचना की संभावित तारीख**	**अधीनस्थ विधान को संसद के सभा-पटल पर रखने की तारीख**		**अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, राज्य सभा को कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख**	**टिप्पणियां**
					लोक सभा	राज्य सभा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	नियमः उस राजपत्र अधिसूचना की संख्या एवं तारीख, जिसमें नियमों को प्रकाशित किया गया।							
छावनी अधिनियम, 2006	1. छावनी (उपाध्यक्ष और निर्वाचित सदस्यों को भत्ते का भुगतान) नियमावली, 2011, देखिए दिनांक 01.08.2011 के का.नि.आ. 6 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित	धारा 346	01.08.2011	लागू नहीं	12.12.2011	14.12.2011		
	2. उपाध्यक्ष और छावनी बोर्ड की निर्वाचन (प्रक्रिया) नियमावली, 2011 देखिए दिनांक 04.11.2011 के का.नि.आ. 10 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित	धारा 19(3)	04.11.2011	लागू नहीं	12.12.2011	07.12.2011		
	3. छावनी निर्वाचन नियमावली, 2007 देखिए दिनांक 21.08.2007 के का.नि.आ. 5 (अ) के	धारा 31	21.08.2007	लागू नहीं	03.12.2007	05.12.2007		

	अंतर्गत प्रकाशित							
	4. छावनी बोर्ड के सदस्यों को छुट्टी प्रदान करने से संबंधित नियमावली, 2011 देखिए दिनांक 26.11.2011 के का.नि.आ. 12 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित	धारा 346 (2) (ट)	26.11.2011	लागू नहीं	19.03.2012	21.03.2012		
	5. छावनियों में संपत्ति का अंतरण (सूचना प्रपत्र और ऐसी सूचना देने की विधि) नियमावली, 2016 देखिए दिनांक 30.12.2016 के का.नि.आ. 12 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित	धारा 346 (2) (ड)	30.12.2016	लागू नहीं	10.03.2017	21.03.2017		
	6. छावनियों (अचल संपत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए वारंट का कार्यान्वयन) नियमावली, 2016 देखिए दिनांक 30.12.2016 के का.नि.आ. 14 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित	धारा 105(6)	31.12.2016	लागू नहीं	10.03. 2017	21.03.2017		
	7. छावनी (सूचनाओं की सेवाओं के प्रपत्र एवं प्रक्रिया) नियमावली, 2017, देखिए दिनांक 24.01.2017 के का.नि.आ. 2(ङ) के अंतर्गत प्रकाशित	धारा 346 (2)(झ)	24.01.2017	लागू नहीं	10.03.2017	21.03.2017		
	8. छावनी (वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट) नियमावली, 2017, देखिए दिनांक 03.05.2017 के का.नि.आ. 6(ङ) के अंतर्गत प्रकाशित	धारा 346	03.05.2017	लागू नहीं	27.12.2017	02.01.2018		
	9. छावनी (मध्यस्थन	धारा 346 (2)(झ)	18.05.2017		27.12.2017	02.01.2018		

	समिति की प्रक्रिया का विनियमन) नियमावली, 2017, देखिए दिनांक 18.05.2017 के का.नि.आ. 15(ङ) के अंतर्गत प्रकाशित			लागू नहीं				
	10. छावनी संपत्ति नियमावली, 2017, देखिए दिनांक 01.12.2017 के का.नि.आ. 31(ङ) के अंतर्गत प्रकाशित	धारा 125	01.12.2017	लागू नहीं	27.12.2017	02.01.2018		
	11. छावनी परिषद लेखा नियमावली,2020 , देखिए दिनांक 03.03.2020 के का.नि.आ. 2(ङ) के अंतर्गत प्रकाशित	धारा 346 (2)(च) को धारा 125 के साथ पढ़ा जाए	03.03.2020	लागू नहीं	24.03.2021	28.03.2021		
	12. छावनी परिषद कर्मचारी सेवा नियमावली, 2021, देखिए दिनांक 13.10.2021 के का.नि.आ. 16(ङ) के अंतर्गत प्रकाशित	धारा 346 (2)(घ) एवं (ङ)	13.10.2021	लागू नहीं	10.12.2021	13.12.2021		
	13. छावनी भूमि प्रशासन नियमावली, 2021, देखिए दिनांक 01.12.2021 के का.नि.आ. 24(ङ) के अंतर्गत प्रकाशित	धारा 346 (2) क एवं ख	01.12.2021	लागू नहीं	17.12.2021	20.12.2021		
	विनियमन*	यह सूचित किया जाता है कि छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत केवल व्यवसाय विनियमन बनाए जाने की आवश्यकता है। यह भी सूचित किया जाता है कि छावनी अधिनियम, 2006 के लागू होने से पहले से छावनी परिषद् के द्वारा बनाए गए व्यवसाय विनियमन लागू हैं एवं उन्हें उक्त अधिनियम के धारा 360(2) के अनुसार उक्त अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत बनाया गया माना जाएगा ।						
	संविधि							